आज़ादी का अमृत महोत्सव

पुलिस विज्ञान

आई एस एस एन 2230-7044 पुलिस विज्ञान

वर्ष-40 अंक 146 जनवरी-जून, 2022

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

पुलिस विज्ञान

अंक-146 (जनवरी-जून, 2022)

सलाहकार समिति

बालाजी श्रीवास्तव
महानिदेशक

नीरज सिन्हा
अपर महानिदेशक

डॉ. करूणा सागर
निदेशक (प्रकाशन)

शशि कान्त उपाध्याय
उप निदेशक (प्रकाशन)

संपादन : सतीश चन्द्र डबराल, वरिष्ठ अनुवादक

संपादन सहयोग
पिसाल विक्रम आनंदराव
हिंदी अनुवादक

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
राष्ट्रीय राजमार्ग - 8, महिपालपुर, नई दिल्ली – 110 037

'पुलिस विज्ञान' में प्रकाशित लेखों में लेखकों के विचार निजी हैं। इनसे पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, की सहमति आवश्यक नहीं।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय

पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार योजना

इस योजना के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा प्रति वर्ष पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए रचनाएं आमंत्रित की जाती हैं। इन विषयों पर हिन्दी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष मूल रूप से हिन्दी में प्रकाशित पुस्तकों की प्रविष्टियों में से समिति की सिफारिश के आधार पर 5 पुस्तकों को रूपये तीस-तीस हजार के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनमें से एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है।

इस योजना के अंतर्गत पुलिस, कारागार एवं न्यायालयिक विज्ञान से संबंधित हिन्दी से इतर अन्य भाषाओं की पुस्तकों को हिन्दी में अनूदित करके प्रकाशित करने के लिए चौदह-चौदह हजार रुपये के दो नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनमें से एक पुरस्कार महिलाओं के लिए आरक्षित है।

इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा अपनी तरफ से दो विषय देकर (एक विषय सामान्य वर्ग के लिए एवं एक विषय महिला वर्ग के लिए आरक्षित) पुस्तकें लिखवाने के लिए रूपरेखाएं आमंत्रित की जाती हैं जिसके लिए चालीस-चालीस हजार रुपये के दो पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। रूपरेखाएं 8 से 10 पेज की होनी चाहिए जिसमें लिखी जाने वाली पुस्तक में दी जाने वाली सामग्री का सार हो। सामान्यतः हर वर्ष रूपरेखाएं भेजने की अंतिम तिथि 31 मार्च होती है। इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए संपादक (हिन्दी), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली से संपर्क करें अथवा ब्यूरो की वेबसाइट www.bprd.nic.in देखें।

'अपराध विज्ञान' तथा 'पुलिस विज्ञान' में डॉक्टरेट कार्य हेतु फेलोशिप

अपराध विज्ञान, पुलिस एवं कारागार तथा पुलिस विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों पर डॉक्टरेट कार्य हेतु ब्यूरो द्वारा 10 फेलोशिप के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इस योजना के तहत प्रति वर्ष भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किए जाते हैं। इसमें अभ्यर्थी को पी.एच.डी के लिए विश्वविद्यालय से पंजीकृत होना आवश्यक है। इसमें अभ्यर्थी को पहले दो वर्ष के लिए रूपये पच्चीस हजार तथा तीसरे वर्ष से रूपये अटठाइस हजार प्रदान किए जाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली के अनुसंधान अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है। पूर्ण जानकारी कार्यालय की वेबसाइट www.bprd.nic.in पर भी देखी जा सकती है।

पुलिस एवं कारागार सम्बन्धी विषयों पर अनुसंधान परियोजनाएँ

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रलय, पुलिस एवं कारागार से संबंधित विभिन्न विषयों पर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालयों, संस्थानों व व्यक्तिगत शोधकर्ताओं से अपने विश्वविद्यालयों के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए उप निदेशक (अनुसंधान) एवं सहायक निदेशक (अनुसंधान), एन एच 8 महिपालपुर, नई दिल्ली 110037 से संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली की वेबसाइट www.bprd.nic.in पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

बालाजी श्रीवास्तव, भा.पु.से.
महानिदेशक

Balaji Srivastava, IPS
Director General

Tel. : 91-11-26781312 (O)
Fax : 91-11-26781315
Email : dg@bprd.nic.in

पुलिस अनुसंधान एवम् विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार
राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037

Bureau of Police Research & Development
Ministry of Home Affairs, Govt. of India
National Highway-8, Mahipalpur,
New Delhi-110037

संदेश

माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 29 सितंबर 1978 को संपन्न हुई हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि ब्यूरो द्वारा प्रकाशित की जा रही अंग्रेजी पत्रिका के साथ हिंदी पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाए। तदनुसार वर्ष 1982 से **'पुलिस विज्ञान'** नाम से हिंदी पत्रिका का प्रथम अंक प्रकाशित किया गया। पत्रिका में पुलिस, पुलिस प्रशासन, जेल प्रबंधन, न्यायालयिक विज्ञान, साइबर अपराध, आपराधिक जाँच आदि पुलिसिंग से संबंधित विषयों पर उत्कृष्ट लेख प्रकाशित किए जाते हैं। अब तक पत्रिका के कुल 145 अंक प्रकाशित हो चुके हैं।

यह पत्रिका हिंदी भाषी राज्यों के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य बहुत लोकप्रिय है जिसकी पाठकों को प्रतीक्षा रहती है। पुलिस कार्मिक पत्रिका के माध्यम से अपने व्यावसायिक कौशल को बढ़ाते हैं जिससे उन्हें अपनी दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने में सुविधा प्राप्त होती है। पत्रिका का प्रेषण केंद्रीय पुलिस संगठनों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, गृह मंत्रालय और हिंदी भाषी राज्यों में थाना स्तर तक किया जाता है। यह मेरे लिए गर्व का विषय है कि पत्रिका के अंक – 146 का विमोचन पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 52वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला जी के कर-कमलों द्वारा किया जा रहा है।

पत्रिका के इस अंक में नागरिकों के प्रति पुलिस अधिकारियों का व्यवहार एवं उनका प्रशिक्षण, साइबर वॉलंटियर कार्यक्रम, पोस्टमार्टम परीक्षण, कारा स्वास्थ्य की चुनौतियाँ एवं उपाय, विशेषीकृत पुलिस व्यवस्था, प्रशिक्षण और इससे संबंधित अच्छे आचरण के अनुप्रयोग, सोशल मीडिया और महिलाओं की सुरक्षा, किशोरों में मादक पदार्थों का सेवन जैसे विषय बहुत ही प्रासंगिक हैं जो इस अंक को निश्चित रूप से पुलिस कार्मिकों के लिए उपयोगी बनाएंगे।

मैं इस अवसर पर ब्यूरो के प्रकाशन प्रभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को **'पुलिस विज्ञान'** हिंदी पत्रिका के निरंतर प्रकाशन और इसमें महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित करने के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता हूँ।

(बालाजी श्रीवास्तव)
महानिदेशक

"उत्तम कार्यप्रणालियों एवं मानकों का प्रोत्साहन"

लेखकों से निवेदन

पाठकों से अनुरोध है कि पुलिस विज्ञान पत्रिका में प्रकाशन के लिए पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों पर लेख लिखकर भेजें और लेख लिखने में सक्षम अपने सहयोगियों को भी लेख लिखकर भेजने के लिए प्रेरित करें। लेख टाइप किया गया हो और कम से कम दस पेज का हो। यदि लेख से संबंधित कोई फोटो हो तो वह भी साथ भेजें। अच्छे लेखों को पुलिस विज्ञान पत्रिका के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाएगा। लेख ई-मेल satishdabral@bprd.nic.in पर भी भेजे जा सकते हैं। पत्रिका में प्रकाशित लेखों के लिए रूपये 3000/- प्रति लेख पारिश्रमिक दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त यदि आपने पुलिस से संबंधित विभिन्न विषयों के हिन्दी के अलावा अन्य भाषा के किसी अच्छे लेख को हिन्दी में अनूदित किया है या करना चाहते हैं, जिसका कॉपीराइट आपके पास हो अथवा जिसके कॉपीराइट की आवश्यकता न हो तो ऐसे लेख भी प्रकाशन के लिए आमंत्रित हैं। प्रकाशित लेखों के लिए समुचित मानदेय दिया जाता है। लेख भेजते समय यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक/अनूदित है और इसका कहीं प्रकाशन नहीं हुआ है तथा इसके लिए कहीं से कोई मानदेय नहीं लिया गया है। इस संबंध में, अधिक जानकारी ब्यूरो की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

संपादक

पुलिस विज्ञान

राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर,

नई दिल्ली – 110 037

संपादकीय

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो देश की पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गत 51 वर्षों से कार्यरत है। अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्यूरो प्रशिक्षणों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों व प्रकाशनों के माध्यम से पुलिस कर्मियों को सक्षम बनाने का कार्य कर रहा है। इसी क्रम में, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा अपनी छमाही हिंदी पत्रिका पुलिस विज्ञान का प्रकाशन किया जाता है। ब्यूरो सतत् प्रयास करता है कि पुलिस विज्ञान पत्रिका में केवल ऐसे लेखों को प्रकाशित किया जाए जिनमें पुलिसिंग संबंधी प्रामाणिक व उपयोगी जानकारी हो, जो भारतीय पुलिस कार्यप्रणाली को प्रभावी व सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दे सकें।

'पुलिस विज्ञान' पत्रिका का अंक-146 पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है। पत्रिका के इस अंक में ऐसे लेखों का चयन किया गया है जो वर्तमान समय में पुलिस के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन लेखों में नागरिकों के प्रति पुलिस अधिकारियों का व्यवहार एवं उनका प्रशिक्षण, साइबर वॉलंटियर कार्यक्रम, पोस्टमार्टम परीक्षण, कारा स्वास्थ्य की चुनौतियाँ एवं उपाय, विशेषीकृत पुलिस व्यवस्था, प्रशिक्षण और इससे संबंधित अच्छे आचरण के अनुप्रयोग, सोशल मीडिया और महिलाओं की सुरक्षा, किशोरों में मादक पदार्थों का सेवन जैसे विषय बहुत ही प्रासंगिक हैं जो इस अंक को निश्चित रूप से उपयोगी बनाएंगे।

हमें विश्वास है कि इस अंक से पुलिस कर्मियों को नागरिकों के प्रति उचित व्यवहार अपनाने, साइबर वॉलंटियर कार्यक्रम को जानने एवं विशेषीकृत पुलिस व्यवस्था की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त पुलिस प्रशिक्षण से संबंधित अच्छे आचरणों की जानकारी, सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों से उनकी सुरक्षा, किशोरों में मादक पदार्थों के बढ़ते सेवन की रोकथाम के लिए कार्यरत पुलिस कर्मियों को मदद करने में कारगर भूमिका निभाएगा।

पुलिस विज्ञान के आगामी अंकों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए पाठकों के सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

संपादक

विषय सूची

लेख	लेखक	पृष्ठ सं.
नागरिकों के प्रति पुलिस अधिकारियों का व्यवहार एवं उनका प्रशिक्षण	श्री प्रकाश	1
साइबर वॉलंटियर कार्यक्रम	श्री गजा नन्द शर्मा	9
पोस्टमार्टम परीक्षण	श्री शैलेन्द्र कुमार अवस्थी	15
कारा स्वास्थ्य की चुनौतियाँ एवं उपाय	डॉ. दीपक कुमार	22
विशेषीकृत पुलिस व्यवस्था	डॉ. गिरिराज सिंह चौहान	29
प्रशिक्षण और इससे संबंधित अच्छे आचरण के अनुप्रयोग	श्री उदित नारायण	36
सोशल मीडिया और महिलाओं की सुरक्षा	डॉ. जालम सिंह	43
किशोरों में मादक पदार्थों का सेवन	प्रो. भावना वर्मा	51

समीक्षा समिति के सदस्य

श्री राजेंद्र कुमार, आईपीएस, श्री राजेश प्रताप सिंह, आईपीएस, डॉ. सत्येंद्र नारायण पांडे, डॉ. शरद, डॉ. अशोक कुमार वर्मा, आईपीएस, श्री नसीरुद्दीन एस. एल., डॉ. अरविंद तिवारी, श्री कमल कांत शर्मा, डॉ. उपनीत लाली, श्री सुनील कुमार गुप्ता

अक्षरांकन एवं पृष्ठ सज्जा : स्मैट फॉर्मस, 3588, जी.टी.रोड़, दिल्ली-110007

नागरिकों के प्रति पुलिस अधिकारियों का व्यवहार एवं उनका प्रशिक्षण

श्री प्रकाश
सहायक प्रोफेसर, लखनऊ विश्वविद्यालय

भारतवर्ष के संविधान के अनुसार केन्द्र व विभिन्न राज्यों में प्रजातांत्रिक प्रणाली की सरकारें कार्यरत हैं। प्रजातांत्रिक प्रणाली की सरकार में जन प्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से जनता द्वारा चुने जाते हैं व उन्हीं में से बहुमत वाले दल से सरकार का गठन किया जाता है जिसके द्वारा देश व प्रदेश के शासन को चलाने का कार्य किया जाता है। प्रत्येक राज्य में सरकार की नीतियों व जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु समाज में शांति व्यवस्था कायम होना अति आवश्यक है जिसके अभाव में कोई भी विकास कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया जा सकता है। जनपदों में शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु वरिष्ठ व कनिष्ठ पुलिस अधिकारी नियुक्त रहते हैं जो अपने विभाग के कार्य के सम्बन्ध में जनता के सम्पर्क में अधिक आते हैं। इन पुलिस अधिकारियों के कार्य, आचरण व सत्यनिष्ठा के द्वारा ही केन्द्र या राज्य की सरकारों के बारे में आम व्यक्तियों की धारणा बनती व बिगड़ती है। यदि पुलिस अधिकारी कर्तव्य निष्ठ, अनुशासित व व्यवहार कुशल हैं तो आम व्यक्तियों की धारणा सरकार के बारे में अच्छी बनती है और यदि वह अधिकारी भ्रष्ट, लापरवाह व दुराचरण करने वाले हैं तो संबंधित विभाग व सरकार के बारे में गलत धारणा आम लोगों की बन जाती है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि पुलिस अधिकारियों के अच्छे व बुरे कार्य व आचरण का प्रभाव सरकार पर पड़ता है। इसीलिए यह भी कहा गया है कि राजतंत्र के मुकाबले में प्रजातंत्र के शासन में कार्य करने में पुलिस अधिकारी का जनता के साथ कभी भूल करके भी कोई अवांछनीय या विधि विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए अपितु अपने कार्य में जन सहभागिता को सम्मिलित करके पारदर्शिता को बढ़ावा देना चाहिए। किसी व्यक्ति को राजकीय सेवा में आ जाने के बाद यह नहीं भूलना चाहिए कि वह स्वयं भी उसी समाज का ही अंग है और उसको वह पद व अधिकार जनता की सेवा के लिए दिया गया है। प्रत्येक पुलिस अधिकारी को अपने कार्य, आचरण व सत्यनिष्ठा को उच्च कोटि का बनाए रखना चाहिए क्योंकि आचरण नियमावली के अनुसार उसके द्वारा ऐसा करना अनिवार्य बना दिया गया है। पुलिस अधिकारियों के अच्छे व्यवहार से उसका स्वयं का भी हित है व उसके विभाग का भी हित शामिल है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि सभी लोक सेवकों विशेष रूप से पुलिस विभाग के अधिकारियों के व्यवहार को जनोन्मुखी बनाया जाए जिससे पुलिस विभाग व सरकार के बारे में कोई विपरीत धारणा न बनने पाए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

पुलिस अधिकारियों को सेवा में प्रवेश-कालीन नागरिक केंद्रित व्यवहार का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता व उद्देश्य- पुलिस विभाग में प्रवेश करने वाले पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रभावी जनसेवा प्रदान करने के लिए स्वाभाविक योग्यता उत्पन्न करने के लिए प्रवेश कालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक है:-

1. उनका व्यवहार नागरिक केंद्रित बनाना।
2. जनता के साथ व्यवहार करने में समान अनुभूति व संवेदनशीलता को बढ़ाना।
3. उत्तरदायित्व को बढ़ाना।
4. निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाना।
5. सुनने, बोलने व प्रस्तुति करने सम्बन्धी प्रभावी संवाद को बढ़ाना।
6. समस्याओं को सुलझाने व रचनात्मक सोच की योग्यता को बढ़ाना।
7. विवाद को सुलझाने की योग्यता को बढ़ाना।
8. समय प्रबन्धन की योग्यता को बढ़ाना।
9. अपने साथ काम करने वालों में टीम भावना को बढ़ाना।
10. संगठन में एक दूसरे की योग्यता को बढ़ाना।

अच्छे पुलिस अधिकारी की विशेषताएं

1. संवाद करने में निपुण हो और अपनी बात को स्पष्ट, संक्षेप व उत्तरदायी ढंग से कह सके।
2. स्व-प्रेरणा से काम को प्रारम्भ करने की पहल करता हो।
3. कठिन परिश्रम करने वाला हो।
4. व्यवस्थापक, निर्णायक व प्रभावी रूप से सुनने वाला हो।
5. अपने साथ के लोगों के साथ मिलकर काम करता हो।
6. दूसरों की सहायता करता है।
7. सत्यनिष्ठ हो।
8. नियमों का पालन करता हो, प्रेरित करता हो व मामले को सही व उचित प्रकार से निपटाता हो।
9. अनुशासित व समय का पालन करता हो।
10. बेकार की बातों में समय न गंवाता हो।

पुलिस अधिकारियों का आगंतुकों के साथ व्यवहार

सरकारी सेवक को लोक सेवक भी कहा जाता है। लोक सेवक के होने का उद्देश्य है कि वह सेवा करे। उसे अपने को एक विशेष व्यक्ति की तरह प्रस्तुत नहीं करना चाहिए अपितु सदैव सेवा के लिए तत्पर रहने वाले व्यक्ति के रूप में व्यवहार करना चाहिए। अच्छी ख्याति कई कार्य करने के बाद प्राप्त होती है परन्तु वह ख्याति एक कार्य से समाप्त हो सकती है।

पुलिस अधिकारियों को मिलने वाले आगन्तुकों की श्रेणियां - लोकसेवक को मिलने वाले लोग समाज के विभिन्न वर्गों के होते हैं। इन आगन्तुकों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:-

1. अति विशिष्ट व्यक्ति
2. केन्द्र व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी
3. केन्द्र व राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारी
4. सेवानिवृत्त अधिकारी व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
5. मीडिया, टी.वी., रेडियो, अख़बार से संबंधित व्यक्ति

6. व्यापारी वर्ग के लोग
7. धार्मिक प्रमुख व्यक्ति व पुरोहित
8. वृद्ध, अपंग व अन्य व्यक्ति जिन्हें सहायता की आवश्यकता हो
9. महिलाएं व बालक
10. सामान्य जनता के लोग

आगन्तुकों से व्यवहार का तरीका - आगन्तुकों के साथ व्यवहार करते समय व्यक्तिगत गुण अपने लिए व विभाग के लिए एक सम्पदा की तरह साबित होते हैं जो निम्न प्रकार के हो सकते हैं-

1. **आगन्तुकों के साथ व्यवहार करते समय एक सामान्य सौम्यता बरती जाए** जिसकी एक लोक सेवक से अपेक्षा की जाती है। यद्यपि पूरे दिन कार्य के दबाव के कारण चेहरे पर मुस्कान रखना संभव नहीं है परन्तु जब कोई व्यक्ति मिलने आए तो जहां तक संभव हो उसका मुस्कान के साथ अभिवादन किया जाए। लोक सेवक का यह छोटा सा कार्य उस आगन्तुक की समस्या के बोझ को कुछ हद तक कम कर देगा। उपेक्षापूर्ण व्यवहार से उस पुलिस अधिकारी के साथ-साथ पूरे विभाग की छवि धूमिल हो जाती है।

2. **आगन्तुक की समस्या को धैर्य पूर्वक सुनने की आदत को विकसित करना चाहिए।** किसी कार्य में सहायता न करने की बात को बिना क्रोधित हुए या सख्त भाषा का प्रयोग किए बिना आगन्तुक को सही तरीके से बता देना चाहिए।

3. **पुलिस को यह शक्ति विकसित करनी चाहिए कि वह आगन्तुकों की भावनाओं को समझ सकें।** जब कोई किसी अन्य व्यक्ति के जूते में पैर डालता है तो उसे यह ज्ञात होता है कि वह जूता कहां पर काटता है। किसी की भावनाओं को जानकर ही कोई भी लोकसेवक किसी की समस्या के आकार को समझ सकता है उस समस्या को सुलझाने के लिए एक साधन के रूप में कार्य कर सकता है।

4. **अति विशिष्ट व्यक्ति व विभागों के वरिष्ठ अधिकारी के साथ व्यवहार**- ऐसे व्यक्ति सामान्य रूप से पहले से समय बता कर आते हैं। यदि वह समय से पहले आ जाते हैं तो उन्हें आगन्तुक कक्ष में बिठाया जाए व चाय, कॉफ़ी आदि दी जाए। अतिविशिष्ट व्यक्तियों व वरिष्ठ अधिकारियों को गेट पर अभिवादन करने व उन्हें जाते समय गेट पर जाकर छोड़ने में पुलिस अधिकारी को संकोच नहीं करना चाहिए। उनके आने के समय के बारे में स्वागत कक्ष में पहले से निर्देश दे देने चाहिए।

5. **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ व्यवहार** - जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व सेवानिवृत्त अधिकारियों ने देश की सेवा के लिए अपने जीवन का सर्वोत्तम समय दिया है। ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करते समय पुलिस अधिकारियों को उनके प्रति वांछित सम्मान प्रकट करना चाहिए। उनको समस्त सम्भव सहायता प्रदान करनी चाहिए। यदि उनकी समस्या का सम्बन्ध किसी और विभाग से हो तो उन्हें उसके बारे में ठीक प्रकार से बता देना चाहिए।

6. **मीडिया, टी.वी., रेडियो व अखबार से संबंधित व्यक्तियों के साथ व्यवहार** - इनसे व्यवहार करते समय पुलिस अधिकारियों को अपने मस्तिष्क को सचेत रखना चाहिए अर्थात सावधानी बरतनी चाहिए जो निम्न प्रकार की हो सकती है:-

(क) उनके सामने टेलीफोन पर किसी विभाग से संबंधित वार्ता न करें।

(ख) कोई ऐसी बात न कहें जो विभाग के लिए परेशानी का कारण हो सकती है।

7. **व्यापारी वर्ग के साथ व्यवहार** - इनके साथ विनम्रता का व्यवहार किया जाए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी भारतवर्ष के सम्पूर्ण विकास का एक हिस्सा है। इनकी समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुनकर उनके निराकरण हेतु प्रयास किए जाए। व्यापारी वर्ग में एकता होती है और समस्याओं के निदान न होने या विलम्ब होने पर यह बाजार बन्द करके विरोध प्रदर्शन व जुलूस निकाल सकते हैं।

8. **प्रत्येक धर्म के प्रमुख व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार** - भारतवर्ष एक धर्म निरपेक्ष देश है और प्रत्येक पुलिस अधिकारी को अपने व्यक्तिगत धार्मिक विश्वास के होने पर भी प्रत्येक धर्म के प्रमुख व्यक्तियों व पुरोहितों को वांछित सम्मान देना चाहिए। उनके साथ जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करना भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों के विरुद्ध माना जाएगा।

9. **वृद्ध व अपंग व्यक्ति के साथ व्यवहार** - यदि ऐसा कोई व्यक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के भी मिलने आते हैं तो उनको बहुत देर तक इन्तजार नहीं कराना चाहिए। उनकी समस्या को व उनके आने के उद्देश्य को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए। उनको यह आश्वासन दिया जाए कि जो सूचनाएं उनसे प्राप्त की जा रही हैं उन्हें जल्द से जड़ निपटाया जाएगा। लोकसेवक को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए वह व्यक्ति किस-किस माध्यम को मिल चुका है व उसका क्या परिणाम रहा। उनको यथोचित सम्मान दिया जाए व उन पर ध्यान दिया जाए। यदि उनको कोई तथ्य ज्ञात नहीं है तो उस तथ्य को उन्हें सहायता की दृष्टि से बता देना चाहिए।

10. **जनसाधारण के साथ व्यवहार** - जनसाधारण के साथ व्यवहार करते समय यह बात ध्यान में रखी जाए कि कोई व्यक्ति किसी अधिकारी के पास तब आता है जब वह विभाग के निचले स्तर के अधिकारियों से अपनी समस्या के समाधान के लिए मिल चुका होता है। उसको कोई समस्या है और या तो उसको न्याय नहीं मिल रहा है या न्याय में विलंब हो रहा है। इस प्रकार के आगन्तुक को बैठने का स्थान दिया जाए व उसको सहज स्थिति में लाया जाए। उनके साथ निम्नलिखित प्रकार का व्यवहार किया जाए:-

(क) यदि अधिकारी आगन्तुक के मामले को नहीं देख रहा है तो उसे सही अधिकारी के पास जाने के लिए बता देना चाहिए व उसको यह न कहा जाए कि ''मैं नहीं जानता'' या ''मैं क्या कर सकता हूं'' या ''यहां से जाओ'' आदि।

(ख) यदि समस्या को सुलझाने में समय लग रहा हो या

और समय लगने की सम्भावना हो तो यह बात सही तरीके से आगन्तुक को समझा देनी चाहिए।

(ग) यदि कोई आगन्तुक आता है व अधिकारी किसी काम में व्यस्त है तो आगन्तुक को पहले सुना जाए व बाद में काम किया जाए।

पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को सुनना, आगन्तुकों को सुनने के आवश्यक तत्व

1. किसी बात को किसी उद्देश्य से सुनना।
2. किसी की बात को ध्यान से सुनना।
3. किसी की बात को सुनने के तीन चरण होते हैं- सुनना, समझना व निर्णय लेना।
4. किसी व्यक्ति को सुनना, सुनने वाले की तीन मौलिक योग्यताओं पर निर्भर होता है-सुनने वाले का दृष्टिकोण, ध्यान व तालमेल।

सुनने के प्रकार

1. सक्रिय/प्रभावशाली रूप से सुनना।
2. कुछ मुख्य बातों को सुनना।
3. निष्क्रिय रूप से सुनना।
4. प्रलक्षित रूप से सुनना।

सक्रिय या प्रभावशाली सुनने का अर्थ

1. यह किसी अन्य व्यक्ति को सुनने व उत्तर देने का तरीका है जिसके द्वारा परस्पर समझदारी बढ़ती है।
2. यह किसी अन्य व्यक्ति पर ध्यान देने का तरीका है जिससे उनको ऐसा प्रतीत हो कि उन्हें किसी अधिकारी के द्वारा सुना जा रहा है।
3. इस प्रकार के सुनने को सक्रिय रूप से सुनना इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लिए सुनने वाले का एक निश्चित आवरण होना आवश्यक होता है।

पुलिस अधिकारी को सक्रिय रूप से किसी को सुनने में क्या करना होता है?

1. ध्यानपूर्वक सुनना, उत्तर देना व समझाना।
2. जानकारी स्पष्ट करने के लिए प्रश्न करना व मुख्य बिन्दु वक्ता को बताना।
3. कम अवरोध के साथ वक्ता को अपनी बात कहने का समय देना।
4. वक्ता द्वारा कही जाने वाली बात पर ध्यान केन्द्रित करना।
5. वक्ता द्वारा बोले जाने वाले शब्दों का अर्थ समझना।
6. वक्ता के विचारों को समझने का प्रयास करना।
7. बिना किसी विपरीत भावना के सुनना।
8. सर्वप्रथम सुनना व समझना व उसके पश्चात् उत्तर देना।

सक्रिय रूप से किसी को सुनने के क्या लाभ हैं?

1. यह लोगों को ध्यान से सुनने के लिए विवश करता है।
2. यह लोगों से अधिक से अधिक बोलने के लिए प्रेरित करता है।
3. यह संवेदना प्रकट करता है।
4. यह सम्बन्धों को बनाता है।

अच्छे सुनने वाले पुलिस अधिकारी से तात्पर्य

1. अच्छा सुनने वाला अधिकारी वक्ता द्वारा कही जाने वाली बात को समझने का प्रयास करता है।
2. सुनने के बाद वह वक्ता से असहमत हो सकता है परन्तु उसे असहमत होने से पूर्व यह जानने का प्रयास करना है कि वह किस कारण से वक्ता के साथ असहमत है।

अच्छे संवादकर्ता पुलिस अधिकारी के गुण

पुलिस अधिकारियों को विभिन्न प्रकार के उत्तेजित जन समूहों से कई अवसरों पर वार्ता करनी होती है जिससे वह शांत हो जाए व कोई अप्रिय घटना न कर पाए। यह भी देखने में आया है कि पुलिस अधिकारी के अच्छे संवाद से कई मामले शान्त हो जाते हैं व खराब संवाद से मामला तूल पकड़ लेता है। अच्छे संवादकर्ता के कुछ गुणों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है जिनकी जानकारी कानून-व्यवस्था में नियुक्त प्रत्येक पुलिस अधिकारी को होना आवश्यक है:-

1. अपने उद्देश्य को जानना कि क्यों संवाद करना चाहते हैं।
2. उन लोगों को जानना जिनसे संवाद करना है कि वह क्या जानना चाहते हैं।
3. यह योजना बनाना कि क्या कहना है व कैसे कहना है।
4. इस बात की जानकारी करना कि लोगों पर संवाद का क्या प्रभाव हुआ।
5. यह समझना कि वास्तव में क्या कहा जाना है।
6. संदेश पर लोगों की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना।
7. संदेश के लिए सही शब्दों व शारीरिक हाव भाव का चयन करना जिससे लोग यह समझ सकें कि क्या कहा जा रहा है।
8. अपने संदेश को देने के लिए सबसे उत्तम माध्यम को चुनना होगा।
9. प्रकरण की विषय वस्तु की संवेदनशीलता व भावनात्मक पहलू को भी समझना होगा।
10. संदेश प्राप्त करने वालों की पसंद को भी समझना होगा।
11. समय के प्रतिबन्ध का ध्यान रखना।
12. सवाल पूछने व उत्तर देने की आवश्यकता को समझना।

पुलिस विभाग में सफलता प्राप्त करने के तीन बिन्दु

पुलिस अधिकारियों को अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने हेतु कई प्रकार की व्यक्तिगत योग्यताओं से परिपूर्ण होना आवश्यक है जिससे वह सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाओं से बच सकें। किसी भी अधिकारी की सफलता में 10/90 का नियम लागू होता है अर्थात् किसी अधिकारी की विभिन्न योग्यताएं व ज्ञान 10 प्रतिशत व उसके व्यवहार का दृष्टिकोण 90 प्रतिशत योगदान देता है। इन बिन्दुओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:-

क) **विशेष योग्यताएं** - किसी पुलिस अधिकारी में निम्नलिखित विशेष योग्यताएं उसको व्यावहारिक स्थितियों में उसके ज्ञान का प्रयोग करने व समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करती है।

1. किसी कार्य को करने की योग्यता होना।
2. अपनी योग्यता का प्रयोग करके यह जानना कि अपने कार्य को कैसे पूर्ण किया जाए व समस्याओं का कैसे समाधान किया जाए।
3. प्रबुद्ध व्यावहारिक होना व उपलब्ध संसाधनों के प्रयोग करने में रुचि लेना।
4. विशेष योग्यता के द्वारा क्या किया जा सकता है।

i) लक्ष्य का निर्धारण

ii) समय प्रबन्धन

iii) निर्णय लेने में तर्क को आधार बनाना

iv) संवाद करना

v) अन्य लोगों के साथ सम्बन्ध बनाना।

ख) **दृष्टिकोण** - किसी पुलिस अधिकारी का अपने कार्य के प्रति दृष्टिकोण भी उसकी सफलता का एक भाग होता है। उसका व्यवहार प्रदर्शन योग्य हो। अपने कार्य को मानकों व सकारात्मकता के साथ करने के लिए ज्ञान का प्रयोग करने की योग्यता हो। उसके प्रति उत्तर सीखने योग्य हो। इसके लिए पुलिस अधिकारी में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है:-

1. आत्म अभिप्रेरणा
2. आत्म विश्वास
3. नैतिकता
4. ईमानदारी से कार्य करने की भावना
5. आशावादी
6. उत्साह
7. सहयोगी
8. दृढ़ प्रतिज्ञा

ग) **ज्ञान** - किसी भी अधिकारी का ज्ञान उसके समस्त पाठ्यक्रम का केन्द्र बिन्दु होता है। ज्ञान किसी व्यक्ति की सफलता का आधारशिला होता है। ज्ञान में आधारभूत बातें, सिद्धांत, सूचनाएं, तथ्य, अंक, विवरण व सीखने को सम्मिलित किया जा सकता है। ज्ञान होने के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु महत्वपूर्ण हैं-

1. प्राप्त सूचनाओं को समझने की शक्ति।
2. सूचनाओं को पढ़कर उनका निष्कर्ष निकालना।
3. यह जानना कि सूचना केवल विचारों पर आधारित है या वास्तविक है।

पुलिस में टीम वर्क व उसके लाभ

टीम का अर्थ क्या है- टीम में कई व्यक्ति एक साथ कार्य करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त करता है। इस बात को टीम के शब्दों से निम्न प्रकार से समझा जा सकता है:-

T - Work together (एक साथ काम करना)

E - Every one (सभी के द्वारा)

A - Achieve (प्राप्त करना)

M - More (अधिक)

टीम की विशेषताएं

1. टीम कई व्यक्तियों का एक समूह है जिसके प्रत्येक सदस्य में कई योग्यताएं होती हैं और यह सभी सदस्य किसी समान दृष्टिकोण से कार्य करते हैं।
2. टीम के सभी सदस्य एक उच्च कोटि के विश्वास, उत्तरदायित्व व स्वतंत्रता से कार्य करते हैं।
3. सदस्य अपने आत्म प्रबन्धन में अधिकार व उत्तरदायित्व के साथ अपना योगदान करते हैं।
4. टीम के द्वारा व्यक्तिगत सदस्य से अधिक कार्य किया जाता है।
5. टीम वर्क एक इंधन है जो सामान्य व्यक्तियों को असाधारण परिणाम प्राप्त करने की अनुमति देता है।
6. टीम के सदस्य अपनी शक्ति को पहचान कर एक-दूसरे की सहायता करते हैं।
7. टीम एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करती है जो टीम के सदस्यों को अपनी सीमा से बाहर जाकर कार्य करने की अनुमति देता है।

टीम वर्क के लाभ-

किसी व्यक्ति द्वारा अकेले काम करने के बजाए मिलकर काम करने के परिणाम अच्छे होते हैं। टीम वर्क के कुछ लाभ निम्न प्रकार के हो सकते हैं-

1. किसी व्यक्ति का योग्य व सामर्थ्यवान होना अच्छी बात है परन्तु दूसरे लोगों के सामर्थ्य का प्रयोग करके टीम में कार्य करना और अधिक महत्वपूर्ण है।
2. यदि टीम के साथ कार्य न करके व्यक्तिगत रूप से कार्य किया जाता है तो यह सम्भव है कि कोई व्यक्ति किसी एक परिस्थिति में अच्छा कार्य करने में सफल हो जाए परन्तु वह किसी अन्य परिस्थिति में असफल हो सकता है।
3. टीम वर्क में सभी सदस्यों की शक्ति का प्रयोग करके स्थिति की परवाह किए बिना अच्छा कार्य किया जा सकता है। अतः पुलिस अधिकारियों को अकेले काम करने के बजाए टीम बना कर कार्य करना चाहिए।

****

संदर्भ

- www.Hindiind.in/nasha.html
- www.httpspym.org
- Ibid
- Ibid.
- www.Merikhabay.com

साइबर वॉलंटियर कार्यक्रम: अवधारणा एवं चुनौतियां

श्री गजा नन्द शर्मा
सहायक आचार्य (लोक प्रशासन)
सरदार शहर (चूरू), राजस्थान

साइबर वॉलंटियर/स्वयंसेवक अर्थ (Cyber Volunteer Meaning)-

साइबर शब्द का अभिप्राय 'कंप्यूटर' तथा 'नेटवर्क' से है, यह शब्द इंटरनेट तथा कंप्यूटर/स्मार्टफोन के माध्यम से होने वाले क्रियाकलापों को इंगित करता है। इंटरनेट की दुनिया में समस्त कार्य-व्यवहार 'साइबरस्पेस' में किए जाते हैं। साइबरस्पेस आभासी दुनिया (Virtual World) या आभासी वातावरण का नाम है, जहां इंटरनेट के माध्यम से किए गए समस्त कार्य आपस में लिंक्स के माध्यम से अंतर-संबंधित होते हैं। वॉलंटियर का शब्दकोशीय अर्थ है- 'स्वयं की इच्छा से दूसरों के हित में कार्य करने का इच्छुक व्यक्ति'। जब इस प्रकार का कार्य ऑनलाइन किया जाता है तब उसे ऑनलाइन वॉलंटियर/वर्चुअल वॉलंटियर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के **यू एन वॉलंटियर प्रोग्राम** के अनुसार ऑनलाइन वॉलंटीयरिंग **किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट के माध्यम से घर, कार्यस्थल, विश्वविद्यालय, साइबर कैफे या टेली-सेंटर में कंप्यूटर से किसी कार्य को अंशत: या पूरा किया जाने का नाम है**। इसी प्रकार साइबरस्पेस में ऐसा कार्य करने वाले को साइबर वॉलंटियर कहा जाता है। इस संकल्पना को किसी निश्चित शब्दावली से पारिभाषित करना एक जटिल कार्य है। बड़े पैमाने पर हो रहे साइबर अपराधों को रोकने हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा साइबर वॉलन्टियर फ्रेमवर्क नामक कार्यक्रम को शुरू किया गया है जिसके माध्यम से आम नागरिक भी अपनी भागीदारी से देश में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद कर सकते हैं।

साइबर वॉलंटियर संकल्पना (Cyber Volunteer Concept)-

साइबर वॉलंटियर (सीवी) की संकल्पना **इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर** (Indian Cyber Crime Co-ordination Centre- **I4C**) द्वारा तैयार की गई है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार साइबर वॉलंटियर द्वारा जो भी कंटेन्ट (इंटरनेट पर मौजूद गैर-कानूनी कंटेन्ट) रिपोर्ट किया जाएगा, उसको संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस एजेंसियों द्वारा प्रमाणित तथा सत्यापित किया जाएगा। साइबर वॉलंटियर के पास किसी भी तरह की विवेकाधीन शक्तियां नहीं होंगी। 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' संवैधानिक रूप से राज्य सूची का विषय है। साइबरस्पेस से जुड़ी कानून-व्यवस्था की चुनौतियाँ प्रकृति में बॉर्डरलेस (Borderless) है अर्थात साइबर अपराध कहीं से भी, किसी भी जगह पर किए जा सकते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) द्वारा साइबर अपराध से विस्तृत पैमाने पर निपटने के लिए एक निश्चित फ्रेमवर्क और आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए I4C को एक नोडल केंद्र (Nodal Point) के रूप में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। **इस कार्यक्रम के सात घटक (Seven Components of I4C) हैं-**

(i) नेशनल साइबरक्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट (National Cybercrime Threat Analysis Unit)

(ii) नेशनल साइबरक्राइम रिर्पोटिंग पोर्टल (National Cybercrime Reporting Portal)

(iii) प्लेटफॉर्म फॉर जॉइंट साइबरक्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम (Platform for Joint Cybercrime Investigation Team)

(iv) नेशनल साइबरक्राइम फॉरेंसिक लेबोरेट्री इकोसिस्टम (National Cybercrime Forensic Laboratory Ecosystem)

(v) नेशनल साइबरक्राइम ट्रेनिंग सेंटर यूनिट (National CybercrimeTraining Centre Unit)

(vi) साइबरक्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट (Cybercrime Ecosystem Management)

(vii) नेशनल साइबरक्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर (National Cybercrime Research and Innovation Centre)

साइबर वॉलंटियर फ्रेमवर्क को **'साइबर हाइजीन संवर्धन'** (Cyber Hygiene Promotion) के भाग के रूप में लागू किया गया है। साइबर अपराधों के विरुद्ध लड़ाई में अपनी इच्छा से योगदान करने वाले नागरिकों की सहभागिता होने से देश में साइबर अपराधों से लड़ने में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रयासों को मदद मिलेगी तथा साइबर अपराधों पर काबू पाया जा सकेगा। **I4C** का उद्देश्य साइबर अपराधों की रोकथाम, जांच तथा अभियोजन में शिक्षा (Academia), उद्योग (Industry), जनता (People) और सरकार (Government) सहित सारे हितधारकों को एक साथ एक मंच पर लाना है। इसी कार्यक्रम के तहत साइबर वॉलंटियर की संकल्पना को लागू किया गया है। इसके लिए साइबर वालंटियर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और उनकी सेवाएं संबंधित राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस एजेंसियों द्वारा उपयोग में लाई जाएंगी। संबंधित राज्य अथवा केंद्र-शासित प्रदेश आवश्यकतानुसार इनकी सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।

साइबर वॉलंटियर फ्रेमवर्क-उद्देश्य (Cyber Volunteer Framework- Objectives)-

साइबर अपराध वॉलंटियर फ्रेमवर्क का उद्देश्य ऑनलाइन अपराधों को कम करने में आम नागरिकों द्वारा **कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs)** की मदद करना है। साइबर वॉलंटियर की अवधारणा से ऑनलाइन अपराधों को कम करने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य साइबर हाइजीन (साइबरस्पेस की स्वच्छता) को बढ़ावा देना भी है। जिस प्रकार परंपरागत पुलिसिंग में मुखबिर अपराधों की रिपोर्टिंग करने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की मदद करते हैं, उसी प्रकार साइबर वॉलंटियर (तीन श्रेणियों में- 1. **अनलॉफुल कंटेन्ट फ्लैगर**, 2. **अवेयरनेस प्रमोटर** एवं 3. **एक्सपर्ट** के रूप में), जांच एजेंसियों की मदद कर सकेंगे। जो भी गैर-कानूनी विषय वस्तु ऑनलाइन/साइबरस्पेस में उपलब्ध होगी, उसकी जानकारी पुलिस विभाग को दी जाएगी।

देश हित में सरकार के साथ मिलकर काम करने के इस कार्यक्रम को परीक्षण के तौर पर जम्मू-कश्मीर में शुरू किया गया है। वहां से मिलने वाली रिपोर्ट के आधार पर इसे पूरे देश में लागू करने की सरकार की योजना है।

साइबर कानून के जानकार और निजता के अधिकार क्षेत्र में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं ने इस पर चिंता और आशंकाएं जाहिर की हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ज्यादातर बातें तो व्याख्या पर आधारित है, जैसे- राष्ट्रहित जैसी अवधारणा का अस्पष्ट होना, राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पोस्ट का फैसला साइबर वॉलंटियर द्वारा किया जाना, इंटरनेट पर विद्यमान गैर-कानूनी और राष्ट्र विरोधी कंटेन्ट को पहचानना, उसको रिपोर्ट करना तथा उसे साइबर नेटवर्क से हटाने में एजेंसियों की मदद करना साइबर वॉलंटियर के लिए बेहद मुश्किल काम है। साइबर वॉलंटियर अनलॉफुल कंटेन्ट फ्लैगर द्वारा इसमें कुछ पहलुओं से जुड़ी सामग्री को रिपोर्ट किया जा सकता है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्राप्त स्वतंत्रताओं पर युक्तियुक्त प्रतिबंध (Reasonable Restrictions) के समान है जो अनुच्छेद 19(2) में वर्णित है-

1. भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ मामले
2. भारत की सेना के खिलाफ मामले
3. राज्य की सुरक्षा के खिलाफ मामले
4. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के खिलाफ मामले
5. सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के खिलाफ मामले
6. सांप्रदायिक सौहार्द के लिए खतरा होने के मामले तथा
7. बाल यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट होने पर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर उपलब्ध सेक्शन 'Report Child/Women related crime' के तहत शिकायत दर्ज करने का प्रावधान है

इसमें साइबर वॉलंटियर के लिए आचरण संबंधी अन्य प्रावधान भी हैं जैसे-

1. इसका इस्तेमाल वाणिज्यिक उद्देश्यों या वित्तीय फ़ायदों के लिए नहीं किया जा सकता है।
2. साइबर वॉलंटियर किसी भी प्रकार की सोशल मीडिया पोस्ट नहीं कर सकते हैं।
3. साइबर वॉलंटियर को कोई भी पहचान-पत्र गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाएगा।
4. साइबर वॉलंटियर न तो सार्वजनिक बयान जारी कर सकते हैं और न ही गृह मंत्रालय के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
5. साइबर वॉलंटियर द्वारा किए गए किसी भी कार्य को गोपनीय रखना होगा।
6. रजिस्ट्रेशन के दौरान साइबर वॉलंटियर को सही जानकारी देनी होगी।
7. साइबर वॉलंटियर को भारतीय कानूनों का पालन करते हुए काम करना होगा तथा नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।
8. साइबर वॉलंटियर ने अगर कानून तोड़ा तो कार्यवाही का भी प्रावधान है; इसके लिए साइबर वॉलंटियर से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को पढ़ने की अपील की गई है
10. यह एक पूर्णतया स्वयं सेवा (Voluntary) पर आधारित कार्यक्रम है

साइबर वॉलंटियर (सीवी) श्रेणियाँ (Cyber Volunteer Categories)-

साइबर वॉलंटियर अपने आप को तीन श्रेणियों में पंजीकृत कर सकते हैं- 1. साइबर वॉलंटियर - अनलॉफुल कंटेन्ट फ्लैगर 2. साइबर वॉलंटियर अवेयरनेस प्रमोटर तथा 3. साइबर वॉलंटियर एक्सपर्ट

वॉलंटियर के रूप में पंजीकृत होने के तीन तरीके हैं

1. **सीवी गैरकानूनी सामग्री फ्लैगर (ध्वजवाहक):** चाइल्ड पॉर्नोग्राफी, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, आतंकवाद, कट्टरपंथी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों आदि जैसे ऑनलाइन अवैध गैरकानूनी सामग्री की पहचान करने और सरकार को रिपोर्ट करने के लिए है। सोशल मीडिया पर उपलब्ध ऑनलाइन कंटेन्ट में से अनलॉफुल कंटेन्ट को रिपोर्ट करने के अधिकार साइबर वॉलंटियर को दिए गए हैं।

2. **सीवी अवेयरनेस प्रमोटर:** साइबर अपराध के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, ग्रामीण आबादी आदि कमजोर समूह शामिल हैं।

3. **सीवी एक्सपर्ट:** साइबर क्राइम, फॉरेंसिक नेटवर्क, मैलवेयर एनालिसिस, मेमोरी एनालिसिस, क्रिप्टोग्राफी आदि के विशिष्ट डोमेन से निपटने के लिए है। सरकार ने साइबर वॉलंटियर फ्रेमवर्क पर स्पष्टता से बताया है कि राज्यों के लिए यह चुनौती नहीं, बल्कि सहयोग का काम होगा। साइबर वॉलंटियर केवल गैर-विधिक कॉन्टेंट को ही सरकार के संज्ञान में लाएंगे। जो साइबर वॉलंटियर टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे वे राज्यों या केंद्र-शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की 'साइबर हाइजीन संवर्धन' में मदद करेंगे। रिपोर्टेड कन्टेंट के वेरिफिकेशन तथा वैलिडेशन के पश्चात ही राज्य/संघ-शासित प्रदेश की कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उचित कदम उठाया जा सकेगा।

सीवी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया (CV Registration Process)-

भारत का कोई भी नागरिक शर्तें पूरी करने पर **नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in)** वेबसाइट पर खुद को साइबर स्वयंसेवक (CV) के रूप में रजिस्टर कर सकता है।

प्रथम चरण में सबसे पहले लॉगिन आईडी बनानी होगी, अपने राज्य का नाम दर्ज कर; मोबाइल नंबर देने के बाद ओटीपी दर्ज कर लॉगिन किया जा सकता है। उसके पश्चात वेरीफिकेशन तथा रेज्यूमे, पहचान और पते का प्रमाण, फोटो अपलोड करने के पश्चात सीवी की श्रेणी का चयन करते ही रजिस्ट्रेशन का प्रथम चरण पूरा हो जाता है।

दूसरे चरण में साइबर वॉलंटियर बनने का कारण बताना होगा तथा अपने कौशल संबंधी विवरण देना होगा। **'साइबर अवेयरनेस प्रमोटर'** तथा **'साइबर एक्सपर्ट'** बनने के लिए वेरीफिकेशन एवं केवाईसी (KYC) की जरूरत होती है।

चुनौतियाँ (Challenges)-

इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर लागू किए जाने में बहुत सी व्यावहारिक चुनौतियाँ है, साइबर सुरक्षा के

जानकार एवं साइबर एक्सपर्ट इस कार्यक्रम के संदर्भ में महत्वपूर्ण चुनौतियों का उल्लेख करते हैं, जैसे-

1. जिस अनलॉफुल कंटेन्ट को रिपोर्ट किया जाना है उसकी व्याख्या अस्पष्ट है और आयाम बड़े ही विस्तृत हैं।
2. सीवी की नियुक्ति का आधार एवं प्रक्रिया के मामले में पारदर्शिता एवं स्पष्टता का अभाव है।
3. कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने चाहिए ताकि संतुलन और नियंत्रण का सिद्धांत लागू हो सके।
4. साइबर वॉलंटियर के पास उचित प्राधिकार का अभाव एवं कानून की जानकारी नहीं होना।
5. साइबर वॉलंटियर की न्यूनतम योग्यता/बेसिक ज्ञान के बारे में स्पष्टता नहीं है।
6. इससे वर्चुअल सर्विलांस बढ़ेगी, निजता के अधिकार का हनन होगा।

निष्कर्ष एवं मूल्यांकन (Conclusion)-

सोशल मीडिया के व्यापक प्रसार और संसाधनों की कमी के कारण पुलिस एजेंसियों पर काम का बोझ बढ़ने की वजह से साइबर वॉलंटियर द्वारा पुलिस बल का सहयोग करने हेतु इस अवधारणा को लागू किया गया है, जिसमें साइबर वॉलंटियर्स पुलिस के काम में अतिरिक्त सहायता के रूप में होंगे। साइबर वॉलंटियर को एफ.आई.आर दर्ज करने की कोई शक्ति नहीं होगी तथा साइबर वॉलंटियर को किसी भी प्रकार का प्राधिकार भी नहीं दिया जाएगा। बड़ी संख्या में साइबर वॉलंटियर होने से पुलिस को मदद मिलेगी साइबर वॉलंटियर होने से आमजन में जागरूकता बढ़ेगी। साइबर वॉलंटियर्स द्वारा रिपोर्ट किए गए कंटेन्ट की जांच की जाएगी। दुर्भावना से कंटेन्ट रिपोर्टिंग करने पर साइबर वॉलंटियर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सकती है तथा उनका पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है। इस कार्यक्रम को लागू करने में बहुत सी व्यावहारिक समस्याएं हैं क्योंकि भारत की सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताएं दुनिया के अन्य देशों से बिल्कुल अलग हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को सोच समझकर लागू किया जाना चाहिए।

एक लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत ही जरूरी अवधारणा है। साइबर वॉलंटियर का कार्यक्रम आम आदमी तथा सरकार के बीच एक सहायताकारी उपकरण के रूप में काम करेगा। नागरिक तथा सरकार के बीच में, एक उपकरण के रूप में साइबर क्राइम रोकने के लिए यह कार्यक्रम एक अच्छा इंटरफेस बन सकता है। वर्तमान में पुलिस के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वह साइबर अपराधियों के सारे मामले देख सके इसलिए निजी एजेंसियों की मदद ली जाती है। इसी प्रकार साइबर वॉलंटियर का कार्यक्रम भी लागू किया जा सकता है। वर्तमान विशेषज्ञता के दौर में सारे कार्य सरकार ही करें यह अपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं। कुछ नागरिक ऐसे भी हैं, जो तकनीकी रूप से सक्षम है तथा सरकार की मदद कर सकते हैं। ऐसे नागरिकों की सरकार के कार्यों में सहभागिता होनी चाहिए, ताकि साइबर अपराधों से लड़ाई सार्थक बन सकें। यह एक नागरिक केंद्रित पहल हो सकती है, बशर्ते कि इसमें कुछ मुद्दों को व्याख्यात्मक अवधारणा के रूप में स्पष्ट किया जाए। ऐसे अधिकार वॉलंटियर्स को नहीं होने चाहिए जिससे कि आम नागरिक की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाए।

भविष्य में जिस प्रकार के अपराध होंगे उसको देखते हुए ऑनलाइन पुलिसिंग (साइबरस्पेस में पुलिस की मौजूदगी तथा संभावित खतरों की समय रहते पहचान) को बढ़ावा देना चाहिए। ऑनलाइन पुलिसिंग में नागरिकों का योगदान भी होना चाहिए जिससे कि पुलिस नागरिक सहभागिता को बढ़ावा मिल सके तथा आम जनता में विश्वास बढ़ सके। विश्व के कई देशों में ऑनलाइन पुलिसिंग की अवधारणा अच्छे तरीके से काम कर रही है, जिसमें कई ड्रग रैकेट, चाइल्ड सेक्सुअल रैकेट आदि मामलों में पुलिस द्वारा सफलतापूर्वक एक बड़े नेटवर्क को निष्प्रभावी बनाया गया है।

भारत में पुलिसिंग के मामले में कई अन्य कार्यक्रम हैं जो नागरिक सहभागिता के तहत जारी हैं, इसलिए संसाधनों की सीमित क्षमता को देखते हुए इस कार्यक्रम को भी लागू किया जाना चाहिए। अगर पायलट प्रोजेक्ट (परीक्षण) के सही नतीजे नहीं आते हैं तब इसकी समीक्षा जरूर की जानी चाहिए। पुलिस विभाग के लिए वर्तमान में सोशल मीडिया एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। तकनीकी रूप से प्रशिक्षित साइबर वॉलंटियर ही सोशल मीडिया कंटेंट की निगरानी रख सकते हैं। अगर इसकी निगरानी नहीं की गई तो वर्चुअल वर्ल्ड (साइबरस्पेस) में वास्तविक दुनिया के अपराधों से ज्यादा गंभीर परिणाम वाले अपराध किए जा सकते हैं। नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रख साइबर वॉलंटियर को उचित प्रशिक्षण देकर इस कार्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए।

संदर्भ

1. राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल- www.cybercrime.gov.in
2. www.bbchindi.com
3. समाचार पत्र- द इंडियन एक्स्प्रेस, 9 फरवरी, 2021
4. www.jkpolice.gov.in
5. www.hindustantimes.com, e-paper Feb 10, 2021
6. अमर उजाला (ऑनलाइन) जम्मू संस्करण, 4 फरवरी 2021
7. द हिन्दू, ई-पेपर संस्करण, 02 मार्च, 2021
8. United Nations Volunteers, 2004 (Online) "Online and Virtual Volunteering", Helen K.Liu,Yuonne D.Harrison, Jackie J.K.Lai, Grace L.Chikoto, Karina Jones-Lungo.

****

पोस्टमार्टम परीक्षण

श्री शैलेन्द्र कुमार अवस्थी
एडवोकेट, प्रयागराज

पोस्टमार्टम परीक्षण : अर्थ- पोस्ट मार्टम शव का एक प्रकार का वैज्ञानिक परीक्षण है यह राज्य द्वारा निर्मित विधि के अन्तर्गत सम्पादित किया जाता है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु एवं अपराध की पहचान तथा अभियोजन को सहायता देने हेतु संचालित किया जाता है।

चिकित्सा विधिक एटोप्सी क्या है ? एटोप्सी का शाब्दिक अर्थ है - स्वयं के लिए देखना। चिकित्सा विधिक एटोप्सी अथवा पोस्टमार्टम परीक्षण (मृत्यु के पश्चात् शव का परीक्षण) एक विशिष्ट प्रकार का वैज्ञानिक परीक्षण है जो राज्य विधि के अन्तर्गत सम्पादित किया जाता है। तथा जिसका अपराधी को अभियोजित करना एवं उसकी पहचान करना है। अतः इसके लिए राज्य की स्वीकृति अपेक्षित होती है एवं कतिपय आवश्यक बाते भी इसके लिए अपेक्षित होती है।

चिकित्सा विधिक एटोप्सी का उद्देश्य- (1) व्यक्ति के पहचान को सुनिश्चित करना, (2) मृत्यु के कारण को अभिनिश्चित करना कि मृत्यु प्राकृतिक अथवा अप्राकृतिक रूप से हुई है। अथवा यह कि यह मानव वध दुर्घटनात्मक अथवा आत्महत्या से सम्बन्धित नहीं है, (3) मृत्यु के ठीक पश्चात् समय को अभिनिश्चित करना, (4) नवजात शिशुओं की दशा में शिशु की वैधता, जन्म स्थान आदि सुनिश्चित करना (5) अस्थि पंजर आदि प्राप्त होने की स्थिति में यह सुनिश्चित करना कि यह कंकाल मानव का है तो मृत्यु का सम्भाव्य कारण क्या है ? एवं मृत्यु कारित किये जाने का समय क्या था ?

चिकित्सा विधिक एटोप्सी की विधिक अपेक्षाएँ- (क) यह निबन्धित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा सम्पादित किया जाना चाहिए एवं उस व्यक्ति को वरीयता दी जानी चाहिए जो इस उद्देश्य हेतु विशिष्ट परीक्षण से युक्त हो एवं जिसे न्याय चिकित्सीय औषधियों के विषय में अनुभव हो। (ख) परीक्षण असंदिग्ध एवं पूर्ण होना चाहिए एवं इसे उचित रूप में अभिलिखित किया जाना चाहिए जिसमें सकारात्मक तथ्य एवं महत्वपूर्ण नकारात्मक तथ्य भी उल्लिखित होने चाहिए जैसे; सिर पर चोट की स्थिति में खोपड़ी की अस्थिभंग अथवा प्रतिरक्षा चोटों का संघर्ष की स्थिति में अभाव, (ग) समस्त सूचनाओं को सुरक्षित रखा जाना चाहिए तथा यह लिखित रूप में होना चाहिए एवं यदि सम्भव हो तो इसमें फोटोग्राफी रेडियोग्राफी आदि का भी उल्लेख होना चाहिए, (घ) साक्ष्यिक तथ्यों का सुरक्षित रूप में अभिलिखित करना, (च) इस सम्बन्ध में प्राप्त आंकडें जो चिकित्सक द्वारा दिए जाते हैं एवं वे तथ्य जो विधि को प्रवर्तित करेंगे तथा जो प्रति परीक्षण के समय विधि न्यायालय के सम्मुख निष्कर्षों की व्याख्या करेंगे, उल्लिखित होना चाहिए।

शरीर की दशाओं से असंगत बातों के बारे में कि यह विघटित हो चुका है अथवा विदीर्ण हुआ है, एटोप्सी क्रिया न्याय चिकित्सीय औषधि, रोग विज्ञानी

द्वारा सम्पादित किया जाना चाहिए जो इस उद्देश्य से विशिष्ट रूप में प्रशिक्षिक एवं जो इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचना दे सकता हो तथा जो अभिन्न हो एवं जो पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशालीय परीक्षण द्वारा पुष्ट हो।

चिकित्सा विधिक एटोप्सी हेतु सावधानियाँ- एक नियम के रूप में निम्नलिखित सावधानियों को दुर्घटनात्मक दशाओं में एटोप्सी परीक्षण के समय व्यवहार में लाया जाना चाहिए जो किसी भी शंका को निर्मूल करें। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति एल्कोहल के अधीन हत्या करता है तो इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि एल्कोहल लेने के पश्चात् मृत्यु दुर्घटनात्मक रूप में कारित की गई।

पहचान - मृतक के शव की पहचान आवश्यक रूप में की जानी चाहिए जो पुलिस के सिपाही द्वारा एटोप्सी क्रिया हेतु लाया जाता है। इसका परीक्षण एवं पहचान उस स्थिति में भी होना चाहिए जबकि सम्बन्धीगण द्वारा चिकित्साधिकारी की उपस्थिति में कोई पता बताया गया हो। समस्त विधिक अन्य परीक्षणों में एवं विशेष रूप से उन मामलों में जबकि शव अज्ञात हो यह आवश्यक हो जाता है कि इस सम्बन्ध में समस्त विवरण अभिलिखित किये जाए जैसे जाति, धर्म, लिंग, आयु, सामाजिक, प्रास्थिति, ऊँचाई, वजन, दन्त रचना आदि। अज्ञात शवों के मामले में पुलिस सामान्य तौर पर उसकी फोटोग्राफी करती है उसके पश्चात् एटोप्सी क्रिया हेतु भेजती है। चिकित्साधिकारी को ऐसी स्थिति में अंगुलिछाप का निशान, अंगुलि छाप विशेषज्ञ द्वारा पहचान हेतु लिया जाना चाहिए। आपराधिक मामलों में पहचान का लोप कभी नहीं करना चाहिए। यह साक्ष्य की श्रृंखला में एक कड़ी का निर्माण करता है।

अपराध स्थल का परिभ्रमण- यदि अपराध परिदृश्य का परिभ्रमण व्यवस्थित रूप में है तो इसका विशिष्ट मूल्य हत्या, विषपान, रोड दुर्घटना, लैंगिक अपराधों विशेषतः बलात्कार एव अग्नेयास्त्र द्वारा चोट के संदर्भ में होता है। इसका सम्बन्ध वहाँ के परिवेश के वस्तुओं से होता है तथा यह वहाँ हुए संघर्ष, खून के कतरों प्रयुक्त हथियारों व उसकी स्थिति आदि से सम्बन्धित होता है। यदि प्रत्यक्ष मृत्यु परिदृश्य एवम् वास्तविक वैज्ञानिक निष्कर्षों में कोई असंगति है तो उसे अभिलिखित किया जाना चाहिए।

चिकित्साधिकारी को शव परीक्षण के पूर्व फोटोग्राफ की अपेक्षा करनी चाहिए जिसमें शव के सभी परिदृश्य हों यदि फोटोग्राफी उपलब्ध न हो सके तो उक्त परिदृश्य का अनुरेखण स्थायी अभिलेख उपलब्ध कराता है। यदि कोई विष द्रव आदि प्याले में पाया जाता है तो इससे वहाँ की परिस्थिति पर प्रकाश पड़ता है किन्तु यदि चिकित्सीय निरीक्षण व्यवस्थित रूप में नहीं हुआ है तो इससे उपयोगी सूचनात्मक परिणाम की क्षति होती है।

एक स्त्री को बाएं कनपटी पर गोली लगने से मृत अवस्था में पाया गया। पति पर हत्या का अभियोग लगाया गया एवं उसने उक्त समय वहाँ उपस्थित होना अस्वीकार किया।

घटनास्थल का परीक्षण यह दर्शाता था कि घटना चिकित्सा विधिक एटोप्सी के अनुसार निम्न बातें अपेक्षित थीं- (1) प्रमाणिकता, (2) पहचान (3) आपराधिक घटनास्थल का निरीक्षण, (4) वाद का इतिहास (5) परीक्षण (6) पुलिस द्वारा उल्लिखित किया गया चोट सम्बन्धी सत्यापन (7) विवरण (8) प्रभावित

भाग एवं अन्य ऊतकों की सुरक्षा, (9) वस्तुओं की सूची (10) साक्ष्य की श्रृंखला।

प्रमाणन- चिकित्सा - विधिक एटोप्सी हेतु प्रमाणन बाम्बे में सन्देहजनक स्थिति में हुई मृत्यु का अन्वेषण करने वाले प्राधिकारी द्वारा दिया गया। भारत के अन्यत्र स्थानों पर स्टेशन के भार - साधक अधिकारी की अनुपस्थिति में पुलिस के निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक द्वारा सम्पादित किया जाता है, एवं विशिष्ट परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट द्वारा जब कोई मृतकाया एटोप्सी हेतु भेजा जाता है तो इसके साथ सदैव मृत्युलेख सूचना या पंचनामा प्रथम सूचना रिपोर्ट व चालान आदि संलग्न होता है। अन्वेषण प्राधिकारी द्वारा मृतक चालान आवश्यक रूप में चिकित्साधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसमें नाम, आयु, लिंग, धर्म एवं मृतक की मृत्यु का सन्देहास्पद कारण आदि पोस्टमार्टम हेतु संलग्न होना चाहिए। यह उस स्थान एवं दूरी पर भी प्रकाश डालता है जहाँ से मृतकाया लायी गयी है। इसका महत्व, संरक्षा एवं पहचान हेतु होता है। चिकित्साधिकारी को कालम में उस समय का उल्लेख करना चाहिए जब मृतकाया उसके पास पहुँचाई गयी।

पंचनामा अथवा मृत्यु बयान लेख ऐसा रिपोर्ट है जिसमें बाद की परिस्थिति एवं इतिहास उपलब्ध होता है जिसके अधीन शरीर पाया जाता है अथवा बरामद होता है या अभिलिखित होती है। इसमें साक्षियों की राय अभिलिखित रूप में होता है एवं इसमें अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा मृत्यु के कारणों का उल्लेख एवं व्यक्त शंकायें आदि उल्लिखित होती हैं। यदि प्रदत्त सूचना असामान्य रूप में पर्याप्त हो तो चिकित्साधिकारी द्वारा सावधानी से परीक्षण किए जाने हेतु निवेदन किया जाना चाहिए जहाँ सम्बन्धी साक्ष्य सन्देहास्पद है यह विघटित शरीर के मामले में सहायक होगी।

चोट द्वारा मृत्यु की स्थिति में चाहे मृत्यु मानव - वध सम्बन्धी हो, आत्महत्या सम्बन्धी हो या रोड दुर्घटना सम्बन्धी हो दुर्घटनात्मक पंजीयन कापी में इसका उल्लेख चिकित्साधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए। यातायात दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना मानचित्र भी दिया जाना चाहिए।

जहाँ बिस्तर एक दीवार के नजदीक था, शरीर एक ओर था एवं एक बाँह इसके नीचे थी तथा किसी तरह के संघर्ष का कोई संकेत न था। गोली 2.45 मी० की दूरी पर भरी गई थी। मृतका 1.62 मी० लम्बी थी। उसके पद चिह्न जो पड़े थे उससे साबित होता था कि उसके अलावा कमरे में कोई नहीं आया था। वास्तव में वह वहाँ अकेली ही थी। केवल उसी ने गोली चलायी होगी एवं स्वयं द्वारा ऐसा करने से उसके कनपटी पर गोली लगी एवं गोली मस्तिष्क में क्षैतिज रूप में प्रवृष्ट हुई। जाँच पर यह पाया गया कि वह बाँया हत्था थी। यह आत्महत्या का मामला था। पति को अपराधी नहीं पाया गया।

यदि घटना स्थल का परिभ्रमण न किया जाय तो कतिपय हानियाँ होती हैं जैसे- (1) शरीर को घटनास्थल से शमशान तक ले जाने के दौरान कतिपय नये खरोंच आ जाते हैं, (2) यस्त्र अव्यवस्थित हो जाएंगे एवं रक्त के कतरे मूल रक्त से पृथक रूप में अस्तित्व में आएंगे, (3) पहले से ही शरीर में हुए कठोर छिद्र आदि की स्थिति परिवर्तित हो सकती है। ये सभी चिकित्सक को दिग्भ्रमित कर सकते हैं।

वाद का इतिहास - चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम क्रिया आरम्भ करने के पूर्व समस्त विवरणों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए जिनके द्वारा मामले की परिस्थितियों पर प्रकाश पड़ता हो। अत्यन्त सुप्रसिद्ध चिकित्सक की राय का भी अल्प महत्व हो सकता है, यदि उसे चिकित्सीय तथ्यों की गलत सूचना दी गई है।

किसी स्त्री की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्लीहा के विदीर्ण होने का संकेत देता है जब जाँच हुई तो यह पाया गया कि पेट पर एक लात प्रहार किया गया था एवं पेट सम्बन्धी त्वचा का पुनः परीक्षण करने पर पाया गया कि जिस भाग पर लात से प्रहार किया गया था वहाँ सूजन एवं आन्तरिक खरोंच था।

परीक्षण - एटोप्सी क्रिया बिना किसी असम्यक् विलम्ब के सम्पादित की जानी चाहिए जबकि इसके बारे में कोई अध्यपेक्षा प्राप्त होती है। जैसा कि नियम है एटोप्सी क्रिया समस्त दिन सम्पादित की जाती है चाहे छुट्टी का ही दिन क्यों न हो इसमें हफ्ते एवं महीने के समस्त दिन शामिल हैं किन्तु यह यथासम्भव दिन की रोशनी में ही सम्पादित की जानी चाहिए। कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति में जान्डिस प्रकृति के पोस्टमार्टम क्रिया में परेशानी आती है एवं पोस्टमार्टम क्रिया विषपान आदि की स्थिति में बाधित होती है। अतएव नियमानुसार पोस्टमार्टम क्रिया प्राकृतिक प्रकाश के अभाव में नहीं सम्पादित की जानी चाहिए तथा शव को शीतगृह में रखा जाना चाहिए।

यदि शरीर पुलिस द्वारा रात्रि को किसी समय लायी जाती है तो चिकित्साधिकारी के लिए यह आज्ञात्मक होगा कि उसका वाह्य परीक्षण तो तत्काल किया जाना चाहिए जिसका सम्बन्ध पर्यावरण के तापमान वाह्य, चोटों आदि से होता है। जबकि मृत्यु के वास्तविक कारण का पता तब चलता है जबकि मृत्यु के कारण गहरी छानबीन के साथ किया जाय एवं परिस्थितियों का पूर्ण होना भी आवश्यक होता है क्योंकि, (1) मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण वास्तविक कारण नहीं हो सकता है, (2) कतिपय जीवाणुओं आदि के बारे में जैसे एड्स या आस्ट्रेलिया एन्टीजन पासिटिव से प्रभावित व्यक्ति के बारे में विशेष सावधानी अपनाया जाना चाहिए।

जहाँ अत्य परीक्षण क्रिया सम्पादित की जा रही हो वहाँ किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को उपस्थित नहीं होने देना चाहिए। जो व्यक्ति कानूनन इससे सम्बन्धित नहीं है वहाँ रहने की अनुज्ञा नहीं होनी चाहिए। "

[पारिख–दि टेक्स्ट बुक आन मेडिकल ज़ुरिस्प्रुडेन्स एण्ड टाक्सिकोलोजी प्रथम संस्करण पृ० 87]

आवश्यकता एवं महत्ता - परिस्थितियाँ जिनमें मृत्यु घटित हुई हो तथा जिनसे मृत्यु की ओर संकेत मिलता है उसे नोट किया जाना चाहिए तथा इसके साथ हिंसा एवं मृत्यु के कारण सन्बन्धी अन्य चोट आदि का उल्लेख मिलता है। इसके बारे में व्यक्तिगत पहचान सम्बन्धी आँकड़ा भी नोट करना चाहिए जिसमें लिंग ऊँचाई, औसत आयु, दांत एवम् हड्डियों की स्थिति का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। अंत्य परीक्षण शरीर के सम्पूर्ण अंगों का किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में मुख्य विवरण वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षण सुस्पष्ट करते हैं एवं इन परीक्षणों पर ही मृत्यु कारण सम्बन्धी राय आधारित होता है।

" आपराधिक परीक्षणों के संदर्भ में सम्पादित किया जाने वाला पोस्टमार्टम परीक्षण जिसका सम्बन्ध

साक्ष्य के महत्वपूर्ण भाग से है, सम्यक सावधानी से किया जाना चाहिए। इसका सम्पादन मात्र औपचारिक रूप में नहीं होना चाहिए इसे मुद्रित रूप में होना चाहिए एवम् इसमें उन सुसंगत तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए जिनका वर्णन शीर्ष में किया गया है। इसमें उस समय का उल्लेख होना चाहिए जो सम्भावित रूप में विभिन्न चोटों के कारित किया जाने से सम्बन्धित है। "

- निगेल मोरलैंड

इन्दिरा गाँधी हत्या के मामले में साक्ष्य के रूप में स्पष्ट दृष्टिकोण जिसका सम्बन्ध पोस्टमार्टम परीक्षण से था, यह मात्र उसी मामले में महत्वपूर्ण माना गया जो मृत्यु कारण की स्थापना करते हैं एवं जो विवाद के विषय है।

पोस्टमार्टम परीक्षण गहरी छानबीन के साथ होना चाहिए। यह प्रायः उस दशा में जबकि चिकित्सीय व्यक्ति परीक्षण हेतु तत्पर नहीं है विभिन्न प्रश्नों को जन्म देता है। तत्परता के अभाव सम्बन्धी तथ्य जो कि एक प्रकार की राय भी है। उदाहरणार्थ मृत्यु के मामले में जो कि हत्या या मानववध का परिणाम है एवं इस सम्बन्ध में चिकित्सीय व्यक्ति जो कि मामले के सम्बन्ध में अपनी राय देता है प्रेक्षणों में कतिपय बातों का लोप कर सकता है जिनका सम्बन्ध परिस्थितियों से है।

" अपनी अन्तरिम अभ्यास के मुताबिक चिकित्सीय प्रेक्षण एक नियम के रूप में सीमाबद्ध होता है किन्तु चिकित्सा विधिक प्रेक्षण का स्वरूप व्यापक होना चाहिए। यदि घटना के सम्बन्ध में सभी तथ्यों का चिकित्सा साक्षी द्वारा परीक्षण नहीं किया जाता है तो यह उत्तर देना उसकी शक्ति के परे होगा जिसके सम्बन्ध में प्रश्न परीक्षण के समय उद्भूत हुआ है। सम्यक् सावधानी सहित प्रेक्षण का अभाव एक गम्भीर मामला है एवं इसकी परिणति व्यावसायिक उपेक्षा के रूप में होती है। इस सम्बन्ध में यह संकेत किया जाना अपेक्षित है कि कतिपय चिकित्सीय व्यक्ति जिनका सम्बन्ध फोरेंसिक औषधि से है के द्वारा दिया गया प्रेक्षण एवं विचार का परीक्षण न्यायाधीश एवं अधिवक्ता द्वारा किया जाता है। बहुत से अधिवक्ता ऐसे हैं जिनके पास उच्च कोटि का चिकित्सा - विधिक ज्ञान है एवं वे किसी विषय पर सुस्पष्ट उत्तर दे सकते हैं एवं वे अपनी बात को तकनीकी भाव - बोध के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। वह अधिवक्ता जो किसी सिविल या आपराधिक मामले में स्वयं को संलग्न किया हुआ है एवं इस बाबत स्वयं की सूचना स्तरीय चिकित्सा लेखक के सम्बन्ध में देता है तो इस सम्बन्ध में उससे विविध प्रकार के चिकित्सा - विधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। व्यक्ति के शरीर की दशा एवं स्थिति जिसकी मृत्यु हथियार के द्वारा कारित घावों से हुई है एवं हथियार घटना स्थल पर पाये गये वस्त्रों की दशा आदि पर भी हथियार का प्रभाव परिलक्षित होता था इसके बारे में यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस सम्बन्ध में पर्याप्त यथार्थता नहीं बरती जा सकती। "

- टेलर

पोस्टमार्टम रिपोर्ट - साक्ष्यात्मक मूल्य- पोस्टमार्टम सम्बन्धी परीक्षण मूल्य प्रत्येक मामले की परिस्थिति पर निर्भर करती है। यह सुस्थापित है कि न्यायालय एक स्वतंत्र निर्णय पर पहुँचने के लिए कि हत्या के बारे में दिये गए साक्ष्य के अनुसार की गई थी या नहीं न्यायालय अन्य साक्ष्य पर भी विचार कर सकता है जिसका सम्बन्ध चिकित्सक की मनः स्थिति से सम्बन्धित हो सकता है।

सामान्य तौर पर चिकित्सक द्वारा जिसने पोस्टमार्टम परीक्षण संचालित किया है इस दृष्टि से प्रयुक्त किया

जाता है कि वह न्यायालय में सारभूत साक्ष्य देने में अपनी याददाश्त ताजा कर सके।

जब पोस्टमार्टम संचालित करने वाले चिकित्सक की परीक्षा न्यायालय में नहीं कर ली जाती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्वीकृत नहीं होगा।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट साक्ष्य का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग होता है।

हमारे देश के न्यायालयों ने अभियुक्त एवं सह अभियुक्तों के बारे में निर्णय लेने के संदर्भ में स्वीकृत सम्बन्धी उचित प्रक्रिया अपनाया है। इस बाबत विधि एकदम सामान्य है कि परीक्षण के दौरान अभियुक्त एवं सह अभियुक्त द्वारा स्वीकृति की सम्पुष्टि तथ्यों के आधार पर होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारिया बनाम राजस्थान राज्य के मामले में उपर्युक्त की पुष्टि की। पश्चात्वर्ती स्वीकृति को स्वीकार या अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में सम्पुष्टिकरण की अपेक्षा नहीं है। इस बाबत केवल इतना ही पर्याप्त है कि इसके लिए कोई तात्विक विशिष्ट अथवा विवरण है या नहीं।

सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युलेख सम्बन्धी रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए, रामेश्वर दयाल एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू० पी०] के वाद में निम्निखित अवधारण प्रस्तुत किया –

"अन्वेषण अधिकारी द्वारा पंचनामें सम्बन्धी रिपोर्ट वह कथन नहीं है जो पुलिस के सम्मुख साक्षी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है अपितु यह एक अभिलेख है जो अन्वेषण प्राधिकारी द्वारा प्रेक्षित किया गया होता है। ऐसा साक्ष्य प्रथम अथवा प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है एवं विधि की दृष्टि में यह सर्वोत्तम साक्ष्य है जब तक कि अभिलेख संदिग्ध नहीं सिद्ध कर दिया जाता है अथवा इसे अविश्वसनीय एवं तर्क के परे न स्वीकार किया जाय।"

ऐसे कथन जो पंचनामें रिपोर्ट से सम्बन्धित हैं धारा 162 (द० प्र० सं०) की परिधि में नहीं आते जिसमें दो भाग होते हैं- एक तो स्वीकृत कर लिया जाता है एवं दूसरा अस्वीकृत | अभिलेख का वह भाग जो गवाह के वास्तविक प्रेक्षण पर आधारित है वाद का प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है जो घटना का प्रत्यक्ष साक्ष्य माना जाता है। यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 के अन्तर्गत स्पष्ट रूप से स्वीकृत किये जाने योग्य है जबकि दूसरा भाग जो कि सूचना पर आधारित है एवं जो अन्वेषण प्राधिकारी को दिया जाता है एवं जो उसके द्वारा कथन के रूप में लिखा जाता है एवं जो अन्वेषण के अनुक्रम में होता है, धारा 162 के अन्तर्गत अस्वीकृत किये जाने योग्य है जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के अलावा इस धारा में वर्णित सीमित उद्देश्यों के लिए है।

एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा पंचनामें की रिपोर्ट साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के अर्थ के अधीन लोक अभिलेख नहीं है अतएव अभियुक्त अन्वेषण के दौरान उसकी प्रतिलिपि पाने के लिए अधिकृत नहीं है। चिकित्साधिकारी की यह राय जिसमें इस बात का समावेश हो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कृत्य केवल लोक सहायता है अतएव इसका सिद्ध किया जाना आवश्यक है।

पंचनामे की रिपोर्ट - पंचनामे की रिपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जिसका सारभूत महत्व है इसका शीघ्र तैयार किया जाना आवश्यक होता है क्योंकि इसका मृत काया के साथ पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेजा जाना आवश्यक

होता है। यदि वस्तुस्थिति से सम्बन्धित तथ्यों का वर्णन पंचनामे की रिपोर्ट में की गई है तो यह प्रतिपादित किया जाएगा कि उस समय घटना के बारे में सही विवरण दिया जा चुका था। प्रतिपादित शिकायतकर्ता का प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में नाम न दर्ज किया जाना तथ्यों के सुझाव के रूप में था, यह दस्तावेज जो निर्मित किया गया था न तो पुलिस को ज्ञात था और न ही किसी अन्य उपस्थित व्यक्ति को जो घटनास्थल पर मौजूद थे कि शिकायतकर्ता ने वस्तुस्थिति को सचमुच देखा था।

पंचनामा सदैव घटना के समय का होना चाहिए। जहाँ प्राकृतिक रूप में होने वाली मृत्यु के मामले में कोई सन्देह न हो वहाँ पुलिस को यह वैवेकिक शक्ति नहीं है कि वह शरीर को पोस्टमार्टम परीक्षण हेतु भेज दे। इस शक्ति का प्रयोग बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके एवं ईमानदारी से किया जाना चाहिए।

****

कारा स्वास्थ्य की चुनौतियाँ एवं उपाय

डॉ. दीपक कुमार
अधीक्षक, मंडल कारा शिवहर (बिहार)

कारागृह का मूल उद्देश्य बंदियों की सुरक्षित अभिरक्षा, सुधार एवं संरक्षण है। सफल कारा प्रणालियाँ बंदियों के लिए सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करती हैं एवं उनके रिहा होने पर पुनर्वास और समुदाय में एकीकरण के अवसर भी उपलब्ध कराती है। एक आदर्श कारा गरिमामयी शालीन माहौल में सुरक्षित अभिरक्षा और सुदृढ़ विधि व्यवस्था बनाये रखती है। कुशल कारागार प्रबंधन अपने कर्मचारी और कैदियों को समान रूप से सुरक्षा और समानता के अवसर प्रदान करती है तथा उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने और सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कारागारों का कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य बहाल रखने के साथ ही कर्मियों और कैदियों के सामान्य स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित रखें। यह भी आवश्यक है कि वे बंदियों के साथ ही अपने कर्मियों के लिए भी बेहतर भविष्य और विकास के अवसर सृजित करें।

समाज के अन्य वर्गों की तरह कैदियों को भी स्वास्थ्य सुविधा पाने का पूर्ण अधिकार है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक कारा का यह कर्तव्य है कि वह बंदियों के संपूर्ण स्वास्थ्य की दिशा में आवश्यक कदम उठाए व समुचित प्रयास करे। स्वास्थ्य देखभाल का लक्ष्य रोगियों की देखभाल व समुचित चिकित्सा उपलब्ध कराना है। बंदियों का स्वास्थ्य देखभाल कारा के कार्य का एक अभिन्न एवं अनिवार्य हिस्सा है। प्राथमिक देखभाल ही कारा स्वास्थ्य सेवाओं की आधारशिला है। अतः कारागृह बंदियों को समाज के अन्य लोगों हेतु उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के समतुल्य स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने का प्रयास करती है।

कारा स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य

कारा स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य कार्य अस्वस्थ बंदियों की देखभाल है जिसमें मुख्यतः चिकित्सा कार्य आते हैं। रोगों की चिकित्सा व उनसे बचाव और बीमारों का स्वास्थ्यवर्धन भी इन सेवाओं के मुख्य पहलू हैं। प्रभावी कारा अपने कैदियों को समुदाय में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं के समतुल्य मानक के अनुरुप स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करती हैं, जिसे तभी हासिल किया जा सकता है जब कारा प्रबंधन और कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य देखभाल को एक ''स्वस्थ कारागृह'' के दृष्टिकोण से समझें और बढ़ावा दें।

कैदियों की प्रारंभिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों के अन्य कर्तव्य और दायित्व भी हैं यथा स्वास्थ्य अभिलेखों को तैयार करना और उन्हें संरक्षित रखना तथा आवश्यकता होने पर न्यायालय व अन्य विभागों को वांछित प्रतिवेदनों को प्रेषित करना। कारा के स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा रोगी कैदियों को उनकी स्वास्थ्य स्थिति और समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके स्वास्थ्य देखभाल में उनकी (रोगी कैदियों की) सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना एक आदर्श स्थिति है।

कारा स्वास्थ्य सेवाओं के समक्ष चुनौतियाँ

कारा में कैदियों के जीवन का हर एक पहलू उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है ना कि केवल उन्हें मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं। कारा का वातावरण बंदियों के लिए अपरिचित होता है जहाँ विभिन्न वर्ग व समुदाय के लोग होते हैं जो अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक और अपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य और कारा स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत-सी समानताएं होने के साथ ही अनेक असमानताएं भी पाई जाती हैं। कारावास व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करती है जिसके दुष्परिणाम उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कैद में आते ही व्यक्ति के स्वास्थ्य के सामाजिक घटक का नाश हो जाता है तथा वह अपने परिवार और परिचित वातावरण से काफी दूर हो जाता है। कारागार का वातावरण व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और उसके निर्णय लेने की क्षमता पर बुरा प्रभाव डालती है। अधिकांश व्यक्ति अपनी मनपसंद के चिकित्सक व स्वास्थ्य सेवा को चुनने में असक्षम हो जाता है। सामान्यतः वैसे रोगी जो कैद में हैं उन्हें उच्च स्तर के स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता होती है परन्तु इसे पाने में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

कारा में अक्सर वैसे लोग आते हैं जो गरीब, उपेक्षित, बेघर, बेरोजगार, और परावलंबी होते हैं तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। कारा में प्रवेश पानेवाले लोग अक्सर बिखरावपूर्ण जीवन जीने के आदी होते हैं जहाँ निरंतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं तथा रोगों का प्रसार बारंबार होते रहता है। उन लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श की अधिक आवश्यकता होती है जिसमें संक्रामक रोग, दंत रोग, मनोवैज्ञानिक दोष व मनोरोग, आँखों की समस्या एवं चर्म रोग आदि प्रमुखता से आते हैं।

कैदियों को अकेलापन और एकांतवास भी काफी परेशान करता है। कभी-कभी बेहतर प्रबंधन के अभाव में कैदियों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन, पानी, स्वच्छ हवा और व्यायाम करने के उपकरण उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। कारा वार्डों में पर्याप्त निजता, वायु प्रवाह, सूर्य प्रकाश और बेहतर साफ-सफाई का अभाव भी पाया जाता है।

कारा संसीमित लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं समाज में रह रहे अन्य लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं से अधिक जटिल होती है। इसका कारण है कि कारा आने वाले अधिकांश लोग सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं और अक्सर नशीली दवाओं एवं अल्कोहल लेने के आदी होते हैं। उन लोगों को तनाव, अवसाद एवं अन्य मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त होने की संभावना अधिक होती है जो उनमें आत्महत्या की प्रवृत्ति को जन्म देती है। हालांकि, कुछ स्थितियों को कारागृह के स्वस्थ वातावरण से सुधारा जा सकता है जैसे वायु जनित रोग, गंदगी से फैलने वाले रोग, संक्रामक रोग, तनाव, चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्यायें आदि।

कारा के स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्य भी करते हैं जैसे बंदियों व कारा कर्मियों को स्वास्थ्य के प्रति सजग करना, जागरुकता का प्रसार करना, प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण एवं अन्य रोगों से बचाव के उपाय बताना। इन कार्यों के अलावा आवश्यक होने पर वे न्यायालय और अन्य विभागों को बंदियों के स्वास्थ्य संबंधी प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराते हैं। प्रशिक्षित मानवबल की कमी और कार्यबोझ की अधिकता, अवकाश की कमी, बुरी कार्यदशाएं आदि चिकित्सा कर्मियों की उत्पादकता को कम करती हैं

तथा कारा स्वास्थ्य देखभाल के समक्ष चुनौती उत्पन्न करती हैं।

कारा में स्वास्थ्य देखभाल को प्रभावित करने वाले कारक

अक्सर काराओं में स्वीकृत क्षमता से अधिक बंदी होने के कारण जनाकीर्णता की समस्या रहती है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 2020 के आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2020 को काराओं में स्वीकृत बंदी संसीमन क्षमता से 18 फीसदी अधिक थे।

विभाग और कारा प्रशासन द्वारा बंदियों की स्वास्थ्य देखभाल हेतु किए जाने वाले प्रयास भी नाकाफी सिद्ध होते हैं। कारा चिकित्सा सेवाओं को अपनी छोटी जरुरतों के लिए भी कारा प्रशासन पर निर्भर होना स्वास्थ्य देखभाल को प्रभावी बनने की राह में रुकावट बनता है। बंदियों द्वारा कारा में बिताए जाने वाली अवधि, कारा संसीमित बंदियों का लिंगानुपात, विशेष समूह के बंदी यथा महिलाएं और उनके साथ रह रहे बच्चे, तरुण, वृद्ध व निशक्त बंदी, एलजीबीटी समूह के बंदी आदि की स्वास्थ्य जरुरतें अलग होती है।

कारा में संसीमित महिला बंदियों की विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति हेतु विशेषज्ञ महिला चिकित्सकों और महिला स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता होती है। अतः विशेष समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक हो जाता है।

कारा स्वास्थ्य हेतु उपलब्ध संसाधन कारा में स्वास्थ्य देखभाल को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रमुख है। कारा में स्वास्थ्य संसाधनों यथा मानवबल, स्वास्थ्य उपकरण, जाँच प्रयोगशाला, भवन अवसंरचना, औषधियाँ आदि का अभाव पाया जाता है। अक्सर चिकित्सा भवनों का आयाम भी आवश्यकता के अनुरुप नहीं पाया जाता है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि अधिकांश उप काराओं एवं मंडल काराओं में विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, लैब टेक्नीशियन, नर्स आदि के पद या तो सृजित नही हैं अथवा पद रिक्त हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 2020 के आंकड़ों के अनुसार देश की काराओं में कुल 3316 स्वास्थ्यकर्मियों के स्वीकृत पद के विरुद्ध केवल 2232 कर्मी कार्यरत हैं अर्थात एक तिहाई स्वीकृत पद रिक्त हैं।

कारा में बंदियों के स्वास्थ्य देखभाल पर होनेवाला खर्च भी उनकी स्वास्थ्य जरुरतों के हिसाब से नाकाफी होता है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 2020 के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 में बंदियों की स्वास्थ्य देखभाल पर कुल 91 करोड़ 53 लाख रुपये खर्च किए गए जो बंदियों पर हुए कुल खर्च का मात्र 4.5 प्रतिशत है।

कारा की साफ-सफाई, बंदियों को मिलनेवाली भोजन की मात्रा व गुणवत्ता, स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण, एवं कारा प्रशासन के अन्य पहलू भी कारा में स्वास्थ्य देखभाल को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं।

कारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उपाय

बेहतर एवं प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु काराओं को एक वृहत समग्र प्रयास करने की आवश्यकता है। कारा का स्वस्थ वातावरण कैदियों की देखभाल और रिहाई पश्चात उनके पुनर्वास की संस्कृति को विकसित करता है। कारा प्रबंधन का प्रयास ऐसे वातावरण का निर्माण करना होना चाहिए

जिसमें बंदी कारा कर्मियों के साथ सुरक्षित महसूस कर सकें और उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करने होंगे जिसमें बंदी अन्य लोगों (कर्मियों व बंदियों) से विश्वास के माहौल में बात कर सके।

कारा में पूर्ण देखभाल की व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है जिसमें कैदी अपने साथी कैदियों की सामाजिक देखभाल कर सकें। बंदी अपने परिजनों से मिल सकें और उनका हालचाल ले सकें। कारा की दिनचर्या के विषय में भी उन्हें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। कैदियों के अकेलेपन और एकांतवास के दूर भगाने के उपायों की व्यवस्था भी होनी चाहिए। उनके निमित्त पर्याप्त मात्रा में भोजन, पानी, स्वच्छ हवा और व्यायाम करने के उपायों की व्यवस्था होनी चाहिए। पर्याप्त निजता, प्रकाश, वायु प्रवाह, और कारा वार्डों समेत समस्त कारा परिसर की बेहतर साफ-सफाई सुनिश्चित कर संसीमित बंदियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है।

कारा कर्मियों को स्वास्थ्य देखभाल संबंधित प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें कानून में वर्णित दायित्वों के निर्वहन के विषय में भी जागरूक करने की आवश्यकता है। कारा प्रबंधन को कर्मियों और बंदियों को स्वास्थ्य समस्याएं और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों से अवगत कराना चाहिए। काराकर्मियों को इस रूप में प्रशिक्षित होना चाहिए कि वे गंभीर बीमारियों के लक्षणों की पहचान कर सकें और प्राथमिक चिकित्सा एवं मानसिक रोगों का प्रबंधन सहजतापूर्वक कर सकें।

कारा स्वास्थ्य सेवाओं को संगठित होना चाहिए तथा सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं से उनका मजबूत सहयोगपूर्ण संबंध होना चाहिए। बीमार बंदी, जिन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा की आवश्यकता हो, को उच्चतर स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर किया जाना चाहिए तथा उनकी चिकित्सा वहाँ के चिकित्सकों के परामर्श के अनुरूप सुनिश्चित की जानी चाहिए।

चित्र-1: पी.टी. एवं योगाभ्यास में शामिल बंदी

चिकित्सकों को हमेशा किसी भी जख्म या चोट के लक्षणों के प्रति सजग रहना चाहिए तथा उनके कारणों को ढूंढ़ निकालने का प्रयास करना चाहिए। कारा स्वास्थ्य देखभाल में आने वाले महत्वपूर्ण समस्याएं मादक द्रव्य, तंबाकू व अल्कोहल का व्यसन होना, संक्रामक रोग, दंत रोग, पुरानी और जटिल बीमारियाँ जैसे मधुमेह,

मिर्गी, प्रजनन संबंधी समस्याएं, कैंसर, हृदय, फेफड़े और लीवर की बीमारियाँ आदि हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में मुख्यतः तनाव, अवसाद, दुर्घटना जनित मानसिक रोग एवं अन्य गंभीर मानसिक व्याधियाँ हैं। अन्य स्वास्थ्य समस्याओं में वंशानुगत बीमारियाँ, दुर्घटना जनित व्याधियाँ, समाजार्थिक कारणों से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याएं, कमजोरी संबंधी समस्याएं आदि हैं।

कारा स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता के आधार पर ससमय मानक चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य देखभाल में समन्वय और निरंतरता बरतने एवं स्वास्थ्य संबंधित सूचनाओं के समुचित अभिलेखीकरण के उपायों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इनके अतिरिक्त वृद्ध, निःशक्त, महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए उन्हें चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। मनोचिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर मादक द्रव्य व्यसनी रोगियों को चिकित्सा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

प्रत्येक कारागृह में चिकित्सा पदाधिकारी, जिसे मनोचिकित्सा क्षेत्र में कुछ दक्षता हासिल हो, का पदस्थापित होना आवश्यक है। चिकित्सा पदाधिकारी के अतिरिक्त अन्य स्वास्थ्य कर्मियों यथा फार्मासिस्ट, ड्रेसर, नर्स, लैब टेक्नीशियन आदि के पदों पर भी नियुक्ति आवश्यक है।

कारागृह को यह ध्यान रखना चाहिए कि अक्सर बंदी समाज के गरीब और उपेक्षित वर्ग से आते हैं। उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना कारा प्रबंधन का लक्ष्य होना चाहिए। इस लक्ष्य को साधने के लिए काराओं में प्रचुर मात्रा में स्वास्थ्य संसाधन उपलब्ध होने चाहिए क्योंकि संसीमित कैदियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराकर ही बेहतर सामुदायिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

वैसे कारागृह जहाँ महिला कैदियों को संसीमित रखा जाता है वहाँ महिला चिकित्सकों की तैनाती होनी चाहिए ताकि महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल की जा सके। गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व व प्रसव के पश्चात पौष्टिक भोजन और चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। गर्भवती महिलाओं और बच्चों का आवश्यक टीकाकरण किया जाना चाहिए।

चित्र-2: खेल-कूद व क्रीड़ा में शामिल कारा संसीमित बंदी

कारा में प्रवेश के कुछ घंटों के बाद ही कारा चिकित्सक को सभी नवप्रवेशित बंदियों की शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य जाँच करनी चाहिए तथा संक्रामक रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों से अलग रखे जाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। जाँच में एच.आई. वी. या यक्ष्मा से संक्रमित पाये जाने पर व्यक्ति की समुचित चिकित्सा कराई जानी चाहिए। चिकित्सा पदाधिकारी को सभी कैदियों के सामान्य स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए तथा प्रतिदिन बीमार बंदियों की चिकित्सा सुनिश्चित करनी चाहिए। वैसे कारा बंदी, जिन्हें कारा अस्पताल के सीमित संसाधनों में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल देना संभव नहीं हो, को उच्चतर स्वास्थ्य संस्थानों में भेजा जाना चाहिए तथा विशेष चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो 2020 के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2020 में 3,62,923 बार बंदियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कारा के बाहर अवस्थित उच्चतर स्वास्थ्य संस्थानों में ले जाया गया। वर्ष 2020 में कुल 82,576 बंदियों को गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चिकित्सा परामर्श भी उपलब्ध कराया गया।

चित्र-3: नवप्रवेशित बंदियों की स्वास्थ्य जाँच और ओ.पी.डी. में स्वास्थ्य जांच करते चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी

चित्र-4: कारा में विशेष स्वास्थ्य जाँच-सह-चिकित्सा शिविर की आयोजन

इसके अतिरिक्त निम्नांकित उपायों को अपनाने की भी आवश्यकता है यथा स्वास्थ्य संवर्धन समूह (गुणवत्ता मंडल) स्थापित करना; स्वास्थ्य सूचना केंद्र स्थापित करना; नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित परामर्श -सह- नशा विमुक्तिकरण केन्द्र शुरू करना; तनाव प्रबंधन पर सेमिनार करना; पोषण पर परामर्श आयोजित करना; फिटनेस और खेलकूद का आयोजन; काम के दौरान पोषण में सुधार, जैसे कैंटीन में फल और वाटर कूलर उपलब्ध कराना; धूम्रपान रोकने के लिए सहायता प्रदान करना और सामूहिक स्वास्थ्य गतिविधियों को बढ़ावा देना, आदि।

कारा में स्वास्थ्य देखभाल को बेहतर बनाने हेतु काराओं द्वारा काफी सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं जिनके बेहतर परिणाम बंदियों के स्वास्थ्य में हुए गुणात्मक सुधार के रुप में दिखाई देते हैं परंतु अभी भी इनमें काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

****

विशेषीकृत पुलिस व्यवस्था

डॉ. गिरिराज सिंह चौहान
सहायक आचार्य, उदयपुर, राजस्थान

"उस विचार से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं जिसका समय आ गया है"

विक्टर ह्यूगो

सार

पुलिस व्यवस्था, पुलिसिंग तथा उसमें सुधार एवं बदलती परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन समय की मांग है। प्रस्तुत लेख इसी संदर्भ में 21वीं सदी के संदर्भ में विशिष्ट पुलिस व्यवस्था या विशेषीकृत पुलिस व्यवस्था की वकालत करता है। यह लेख प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए एक विशिष्ट दक्ष पुलिस बल एवं उसके विभिन्न आयामों के साथ-साथ भारत में जनजातीय समुदाय के संदर्भ में, एक विशिष्ट पुलिस बल की आवश्यकता का वर्णन करता है। बदलती परिस्थितियों में यह बदलाव आवश्यक है।

संकेत शब्द: विशिष्ट पुलिस बल, शहरी पुलिस, पुलिसिंग मॉडल, जनजातीय क्षेत्र, मोताना

पुलिस का मुख्य कार्य शांति व्यवस्था बनाए रखना है। पुलिस शब्द की उत्पत्ति का एक क्रम है। सर्वप्रथम यूनानी भाषा में पोलिस शब्द का प्रयोग प्रारंभ हुआ जिसका अर्थ शहर या राज व्यवस्था से था और राज व्यवस्था को पॉलिसिया के द्वारा संचालित किया जाता था। पॉलिसिया का अर्थ नागरिकता से था। उसके पश्चात यह मध्यवर्ती फ्रांसीसी भाषा के द्वारा अंग्रेजी भाषा में सम्मिलित हुआ। फ्रांसीसी शब्द पुलिस का अर्थ कांस्टेबल से ना होकर सरकार से था परंतु धीरे-धीरे यह कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने वाले बल के रूप में जाना जाने लगा और आधुनिक पुलिस व्यवस्था पूरे विश्व में फैली। भारत में भी आइरिश कांस्टेबुलारी व्यवस्था के आधार पर एक आधुनिक पुलिस व्यवस्था का निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया और उसका एक क्रमिक विकास हुआ। संरचना के तौर पर इस पुलिस व्यवस्था का मुख्य प्रकार्य कानून एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखना था और वह कमोबेश एक जैसी रही। स्वतंत्रता के पश्चात पुलिस व्यवस्था ने अनेक दबाव और तनाव के भीतर कार्य किया है और कई ऐसे कार्य किए हैं जो कि विशिष्ट प्रकार के थे। इसमें कई प्रकार की चुनौतियां और असफलताएं भी थी परंतु एक मूलभूत स्थायित्व रखने में भारत की पुलिस व्यवस्था कमोबेश सफल रही।

विश्व में पुलिस का इतिहास बहुत पुराना रहा है। अगर हम उसकी उत्पत्ति की बात करें तो पुलिस की व्यवस्था मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों से उत्पन्न हुई। और विभिन्न कालों में होती हुई आज के आधुनिक संदर्भ में पहुंची है। पूरे विश्व में पुलिसिंग की कार्यप्रणाली अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग है। भारत में भी पुलिस एवं कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। हर राज्य में एक ही पुलिस प्रणाली है जो कि उसके शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होती है। इसके अलावा

पुलिसिंग के विशेष दायित्व भी हैं जैसे अनुसंधान, ट्रैफिक, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना, दंगों को रोकना, महामारिओं के समय व्यवस्था बनाए रखना, चुनाव करवाना आदि-आदि। आज के आधुनिक संदर्भ में पुलिस को विशिष्ट होने की जरूरत है। उसकी संरचना तो एक हो सकती है लेकिन उसके बहुत अलग-अलग विशिष्ट कार्य हो सकते हैं। सामाजिक विज्ञानो में प्रयोग किया जाने वाला संरचनात्मक-कार्यात्मक दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि एक ही संरचना के अलग-अलग विशिष्ट कार्य हो सकते हैं। और इसका लाभ यह है कि एक ही प्रकार की संरचना विभिन्न प्रकार के विशेषीकृत कार्य कर सकती है। आज के आधुनिक संदर्भों में और विशेषकर भारत के संदर्भ में जो कि एक बहु स्तरीय या मल्टीलेयर्ड देश है इसमें पुलिस और उसकी विशिष्ट कार्य प्रणाली की आवश्यकता है। जैसे एक शहरी पुलिस की अलग आवश्यकता है और एक ग्रामीण पुलिस की अलग आवश्यकता है। क्योंकि दोनों ही क्षेत्रों की आवश्यकता अलग-अलग हैं। हमारे यहां ऐसा कोई विभाजन नहीं है जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की पुलिस व्यवस्था अलग अलग हो। हालांकि विभिन्न आयोगों और समितियों ने इस विशेषीकरण पर जोर दिया है।

विशेषीकृत शहरी पुलिस व्यवस्था

शहरी क्षेत्र का नियंत्रण एवं प्रबंधन शहरी पुलिस रणनीति का ऐतिहासिक रूप से हिस्सा रहा है। शहरों की विशिष्ट विशेषताओं के कारण शहरी पुलिस व्यवस्था शासन की एक प्रमुख केंद्रीय चुनौती रही है। यह चुनौती उच्च आय वाले देशों से लेकर मध्य एवं निम्न आय वाले देशों में भी मौजूद है। अर्जेंटीना, ब्राजील, जमैका, मेक्सिको, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में तो शहरी पुलिस व्यवस्था का नियंत्रण एवं प्रबंधन चुनौती है ही है भारत में भी यह अब चुनौती बनकर उभर रही है।

एक अनुमान के मुताबिक विश्व की आधी आबादी शहरों में रहती है। यूरोप, उत्तरी अमेरिका एवं लेटिन अमेरिका बीसवीं सदी के मध्य से मुख्य रूप से शहरी आबादी वाले महाद्वीप हो गए। आगे के दो-तीन दशकों में एशिया और अफ्रीका की अधिकतर आबादी भी शहरों में अधिवास करने लग जाएगी। यह बहुत सारी शासन की चुनौतियों के साथ साथ पुलिस व्यवस्था की चुनौती भी लाएगी। अलग-अलग शहरी इको सिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र अलग प्रकार से पुलिस की चुनौतियां पैदा करते हैं।

भारत एक तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण वाला देश है। अगर हम 1901 की जनसंख्या को देखें तो भारत में शहरी आबादी मात्र 10.8% थी। और यह हर जनगणना के बाद बढ़ती गई।1951 मैं यह 17.3 % हो गई और 2011 की जनगणना मैं यह 31.2% हो गई। विश्व बैंक के 2019 के आंकड़ों के अनुसार भारत में अनुमानित शहरी जनसंख्या लगभग 34. 4% है। सन 2021 की जनगणना जो कि अब ज्यादा दूर नहीं है उसमें भी भारत की शहरी जनसंख्या बढ़ने का अनुमान है।। शहरी क्षेत्र की आवश्यकताएं बहुत अलग है। एक विशेष पुलिस की आवश्यकता है जो शहर की परिस्थितियों, उसके भूगोल, उसकी प्रशासनिक कार्य प्रणाली, और उसके लोगों की मनोवृति को समझ सके। शहरी क्षेत्रों में एक सर्वे के अनुसार सबसे ज्यादा पुलिस लोगों के संपर्क में आती है तो वह है ट्रैफिक पुलिस स्तर पर। इसलिए अर्बन पुलिसिंग या शहरी पुलिस के एक अलग पुलिस होनी चाहिए जो कि इन शहरों की

आवश्यकताओं को समझ कर उसके लिए प्रशिक्षित हो। ताकि शहरों का प्रबंधन बेहतर रूप से हो सके। इसी तरीके से ग्रामीण पुलिस भी एक अलग पुलिस होनी चाहिए जो गांवों की समस्याओं को समझ कर, लोगों की प्रवृत्तियों को समझ कर उसके अनुसार कार्य कर सकें। इसी तरीके से विशिष्ट क्षेत्रों जैसे जनजाति क्षेत्रों में भी पुलिस की अलग आवश्यकता है।

जनसंख्या नियमों के अनुसार शहरी क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो। इन्हीं नियमों के अनुसार जिन कस्बों की जनसंख्या 1,00,000 से अधिक होती है उन्हें शहर कहा जाता है। कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1974 के सेक्शन 8 के अनुसार ऐसा शहर जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा हो उससे मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र कहा जाता है।

भारत के इतिहास के मध्य काल में पुलिस व्यवस्था शहरी क्षेत्रों तक सीमित थी तथा अंदरूनी क्षेत्रों में तथा गांव में यह व्यवस्था जमीदारों तथा भू स्वामियों पर छोड़ दी गई थी। ब्रिटिश काल में तथा 1861 के पुलिस अधिनियम के लागू होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने पुलिस व्यवस्था को ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू करने का प्रयास किया परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन बहुत दूर-दूर फैले हुए थे जिसके कारण वह इतनी प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाई। पुलिस के अधिकांश संसाधन शहरी क्षेत्रों पर ही खर्च हो रहे थे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात यही व्यवस्था कमोबेश लागू रही और पुलिस की पर्यवेक्षण व्यवस्था का केंद्र शहर ही रहे। पिछले कुछ दशकों में ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था और उनकी चेतना में परिवर्तन आया है और अब राज्य से और उसके अंग पुलिस से ग्रामीण क्षेत्र की भी आकांक्षाएं बढ़ गई जिसके कारण अब यह जरूरत महसूस की जाने लगी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक दक्ष और विशिष्ट पुलिस बल बनाया जाए जो कि ग्रामीण क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुसार प्रशिक्षित हो और इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के लिए भी एक अलग पुलिस व्यवस्था या विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस कार्मिक लगाएं जाए क्योंकि भारत की शहरी आबादी और ग्रामीण आबादी की कानून व्यवस्था से संबंधित परिस्थितियों में अलग-अलग नई चुनौतियां आ रही हैं।

शहरी क्षेत्रों की पुलिस व्यवस्था में कानून व्यवस्था की सामान्य समस्याओं के साथ-साथ संगठित एवं असंगठित अपराध, तथा किसी घटित अपराध के संबंध में त्वरित प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। शहरी अपराध की प्रकृति भी अलग है।

शहरी क्षेत्रों में कानूनी व्यवस्था की समस्या ज्यादा आती है तथा इसका कारण विभिन्न प्रकार के संगठित समूह का शहरों में होना है जिसमें छात्र, मजदूर वर्ग, सफेदकॉलर पेशे के लोग, एक छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं। शहरी क्षेत्रों में सेवाएं तथा सुविधाएं जैसे कि निवास तथा यातायत की सेवाएं जनसंख्या के अनुसार पूर्ण नहीं है जिसके कारण इन सेवाओं के लाभ लेने के लिए लोगों में संघर्ष होता है जोकि कानून एवं व्यवस्था के लिए चुनौती उत्पन्न करता है। इसी प्रकार शहरों में यातायात की समस्या, बंद, हड़ताल एवं प्रदर्शन की समस्या, विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के कारण धन के बड़े प्रवाह की समस्या आदि अपराध को जन्म देते हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनता की चेतना भी पुलिस से अधिक क्रियाशील होकर कार्य करने की मांग करती है।

जैसा की पूर्व में वर्णित किया जा चुका है कि भारत के शहरी क्षेत्रों की अलग और विशिष्ट समस्याएं हैं और इसी कारण से अपराधों के भी अलग प्रकार हैं और कानून एवं व्यवस्था प्रशासन की भी अलग चुनौतियां हैं। अतःविशिष्ट उपाय करने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में पुलिस पूर्ण रूप से संसाधनों से युक्त होनी चाहिए जिससे कि वह त्वरित एवं प्रभाव पूर्ण रूप से कार्य कर सकें, वह विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम हो। राष्ट्रीय पुलिस आयोग (1977) ने अपनी छठी रिपोर्ट में शहरी पुलिस तथा उससे संबंधित विभिन्न आयामों जिसमें मानव संसाधन, उपकरणों, प्रशिक्षण, विशेषीकृत संगठनात्मक ढांचे, यातायात व्यवस्था एवं नियंत्रण, जनसंपर्क तथा पुलिसिंग के विशिष्ट पैटर्न शामिल है पर अपनी अनुशंसा दी थी। उनका पुनः संक्षिप्त रूप से उल्लेख आवश्यक है क्योंकि वे अभी भी उतनी ही महत्व की है साथ ही नए संदर्भों में शहरी पुलिस व्यवस्था कैसी हो उसके संबंध में भी इसकी कुछ बातें महत्वपूर्ण है।

मानव संसाधन

पुलिस हमेशा से ही पर्याप्त मानव संसाधनों से जूझती रही है अतः शहरी क्षेत्रों में साल में तीन बार मानव संसाधन का मूल्यांकन होना चाहिए ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

उपकरण

पुलिस को पर्याप्त रूप से विभिन्न प्रकार के उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जानी चाहिए। हाल के दिनों में, पुलिस आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया है परंतु इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है

यातायात के साधन

पुलिस को अपने विभिन्न कार्यों के लिए पर्याप्त मात्रा में यातायात के साधन चाहिए। यह अपराध नियंत्रण, जांच तथा प्रीवेंटिव कार्यों के लिए चाहिए होते हैं। यातायात के साधन पर्याप्त रूप से पुलिस स्टेशन लेवल तक होने चाहिए।

संचार

पुलिस को संचार एवं संचार के साधनों की आवश्यकता दो रूपों में होती हैं। पहला लोगों से संपर्क बनाने में तथा दूसरा संगठन के भीतर एक दूसरे से संपर्क बनाने में। अतः उसकी संचार व्यवस्था को दुरुस्त किया जाना चाहिए।

वैज्ञानिक सहायता

साइंटिफिक एड या वैज्ञानिक सहायता से आशय अपराध की जांचों में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग और उनके लिए विशेष प्रकार की उपकरण और वाहनों का प्रयोग शामिल है।

एकल डिजिट ब्यूरो

अपराधियों की पहचान के लिए तथा उनका डेटाबेस तैयार करने के लिए सिंगल डिजिट ब्यूरो की भी स्थापना की अनुशंसा की गई थी

इसके अलावा **कंप्यूटर, नियंत्रण कक्षों की स्थापना, कानूनी व्यवस्था के उपकरण, पुलिस स्टेशन भवन, विशेष प्रशिक्षण, संगठनात्मक ढांचे में बदलाव, स्पेशल स्क्वैड्स, मीडिया से संबंध, शहरी क्षेत्रों में पुलिसिंग के विशिष्ट पैटर्न** पर बल दिया गया था जिससे कि एक विशेष प्रकार के शहरी पुलिस व्यवस्था का निर्माण किया जा सके।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग के अलावा विभिन्न समितियों और आयोगों ने और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने भी पुलिस के विशेषीकरण पर जोर दिया है। इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूएन हैबिटेट और उसके सुझाव महत्वपूर्ण है

संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी **यूएन हैबिटेट** के अनुसार मध्य एवं निम्न आय वाले राष्ट्रों में शहरी पुलिस की निम्नलिखित चुनौतियां हैं:

1. स्थानीय अनौपचारिक संरचनाओं द्वारा व्यवस्था का प्रबंधन
2. संसाधनों के लिए टकराव
3. आधारभूत शहरी सेवाओं के गैर-वैधानिक प्रावधान एवं तरीके
4. क्षेत्रों एवं सेवाओं का अनौपचारिकरण
5. पूर्ण रूप से उच्च स्तर का अपवंचन।
6. अमीर एवं गरीबों के बीच गंभीर तनाव
7. पुलिस का राजनीतिक हिंसा एवं आतंकवाद का सामना करना

सूक्ष्म स्तर पर भी निम्न एवं मध्यम वर्गीय राष्ट्रों में यूएन हैबिटेट के अनुसार पुलिस की निम्नलिखित चुनौतियां हैं:

1. बहुत कम शुद्ध नक्शों का उपलब्ध होना, गलियों का उबड़-खाबड़ होना तथा बेढंग का होना और साथ ही निम्न स्तर का आधारभूत ढांचा होना।
2. लोगों का पुलिस के साथ कार्य करने से हिचकिचाना तथा आपसी विश्वास का अभाव
3. कुछ क्षेत्रों पर अपराधी तत्वों का हावी होना
4. बहुत सारे क्षेत्रों से संबंधित अपराध का डाटा नहीं होना
5. गेटेड समुदायों का अस्तित्व में होना तथा निजी सुरक्षा सेवा जिसके कारण कानून लागू करने वाली संस्थाओं की सीमित पहुंच
6. सीमित, अक्षम सड़क तथा यातायात व्यवस्था
7. गरीबी तथा जनसंख्या के बहुत बड़े हिस्से का आर्थिक एवं सामाजिक अपवंचन
8. अति सतर्कता (विजिलेंटिज्म)

यूएन हैबिटेट एवं विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न उपाय सुझाने के साथ-साथ कुछ प्रतिमान (मॉडल) भी बताए हैं।

शहरी पुलिस के लिए कुछ अनुशंसित प्रतिमान (मॉडल)

1. समुदाय उन्मुख पुलिस- समुदाय-उन्मुख पुलिसिंग। पुलिस कमांडिंग के विकास और क्रियान्वयन पर पड़ोस की आबादी के साथ काम करने के लिए स्थानीय कमांडरों और फ्रंट लाइन अधिकारियों को सक्षम करने के लिए पुलिस नीति को विकेन्द्रीकृत करने की जिम्मेदारी पर ध्यान केंद्रित करना।
2. समस्या उन्मुख पुलिस-समस्या-उन्मुख पुलिसिंग: एक पुलिसिंग रणनीति जो अपराध को रोकने के लिए विशिष्ट घटनाओं का जवाब देने के बजाय अपराध को रोकने और अपराध की समस्याओं को हल करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए सबूत, अनुसंधान और सामुदायिक संपर्कों का उपयोग करने पर केंद्रित है।

3. आसूचना आधारित पुलिस- एक पुलिसिंग रणनीति जो आपराधिक गतिविधियों के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि प्रवर्तन और गश्त के प्रयासों से इन गतिविधियों को बाधित किया जा सके।

4. घटना आधारित पुलिस -रणनीतियाँ जो अच्छी तरह से पुलिस बंदोबस्त और व्यापारिक जिलों में एक नियमित पुलिस उपस्थिति और अन्य पड़ोस में कम दूरी पर पुलिस की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

घटना आधारित पुलिस प्रणाली एक परंपरागत पुलिस प्रणाली है। उपरोक्त अन्य तीन पुलिस प्रणालियां शहरी पुलिस प्रशासन एवं पुलिस व्यवस्था के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं।

यहां इस बात का उल्लेख भी जरूरी है कि बढ़ते हुए नगरीकरण के कारण एक पुलिस व्यवस्था की जरूरत है जो कि शहरों के संदर्भ में विशिष्ट हो लेकिन साथ ही उसका वैधानिक आधार क्या होगा और वह किस प्रकार से मूर्त रूप में आएगी उस पर हमारे नीति नियंता एवं कानून निर्माताओं को सोचने की जरूरत है। इस संबंध में, यह किया जा सकता है कि जो वर्तमान में उपलब्ध पुलिस बल है उसमें से ही कुछ कार्मिकों को शहरी क्षेत्र की पुलिसिंग के लिए दक्ष किया जा सकता है। और इस संबंध में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिश की मध्य एवं निम्न स्तरीय कर्मचारियों को इसमें प्रशिक्षित कर उन्हें इन विशिष्ट पुलिस बलों के लिए तैयार किया जा सकता है काफी महत्वपूर्ण है। अब विशिष्ट प्रकार के पुलिस बल विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए जरूरत बन गए हैं और इस विचार को लंबे समय तक नकारा नहीं जा सकता है।

जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशिष्ट पुलिस व्यवस्था

भारत की जनसंख्या की आबादी में सन 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 8.6% जनसंख्या जनजाति की है जो की जनजातीय क्षेत्रों में निवास करती है। राज्य के वंचित समुदायों और विशेषकर जनजातीय समुदायों की विशेष संस्कृति और परंपराएं हैं। 73वें संविधान संशोधन के पश्चात जनजाति की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पेसा अधिनियम बनाया गया था और साथ ही राष्ट्रीय वन अधिकार कानून 2006 भी बनाया गया। भारत की जनजातियां भारत के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई हैं और उनकी कानून और व्यवस्था की समस्याएं भी सामान्य जनसंख्या से कुछ मामलों में अलग है। अतः जनजातीय समुदायों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और उनकी कानून एवं व्यवस्था के समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक विशिष्ट पुलिस बल की आवश्यकता है जो की जनजातीय क्षेत्रों में कार्य कर सकें। यह विशिष्ट पुलिस बल जनजातीय परंपराओं, संस्थाओं, उनकी कार्यशैलियों आदि को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षित हो तथा उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील भी हो तभी वह सफल रूप से कार्य कर पाएगी। उदाहरण के लिए दक्षिणी राजस्थान के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में मौताना एक व्यापक समस्या है जिसके अंतर्गत किसी जनजाति समुदाय के व्यक्ति की अगर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है तो उस व्यक्ति की मृत्यु पर क्षतिपूर्ति की मांग की जाती है। यह मांग प्रशासन एवं सरकार से भी हो सकती हैं या उस व्यक्ति से भी की जा सकती है जिसके कारण दुर्घटना घटित हुई हो। मौताना प्रथा इसलिए प्रारंभ हुई की दुर्घटना में जान गवाने वाले व्यक्ति के परिवार को भविष्य में कुछ सुरक्षा दी जा सके परंतु धीरे-धीरे इस

प्रथा में हिंसा का तत्व शामिल हो गया और शनै-शनै यह कानून व्यवस्था प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक विशेष प्रकार की पुलिस बल की आवश्यकता है जो जनजातियों की विभिन्न परिस्थितियों को समझकर उनके अनुसार कार्य करें और वह भी सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ जिससे कि किसी प्रकार से विधि के शासन का उल्लंघन ना हो।

बीसवीं सदी के अंत और 21 सदी के प्रारंभ में विश्व में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। यह परिवर्तन समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था तथा तकनीक के क्षेत्र में हुए हैं और अत्यधिक तेजी से हुए। इन परिवर्तनों के साथ पुलिसिंग के कार्य में भी विभिन्न चुनौतियां उभरी है और विशिष्ट करण के द्वारा इन चुनौतियों से यथासंभव निपटा जा सकता है।

संदर्भ

बावा, पीएस (2020). अर्बन पुलिसिंग. https://eprints.soas.ac.uk/17278/1/1999/483/483%20bawa.htm पर उपलब्ध

चौधरी, रोहित (2010). पुलिसिंग:रीइन्वेंशन स्ट्रैटेजिस इन ए मार्केटिंग फ्रेमवर्क. सेज पब्लिशिंग.

लेपोरे,जिल.(2020,जुलाई 13).दी इन्वेंशन ऑफ पुलिस. दि न्यूयॉर्कर https://www.newyorker.com/magazine/2020/07/20/the-invention-of-the-police?utm_campaign=falcon&utm_source=twitter&utm_social-type=owned&mbid=social_twitter&utm_medium=soc पर उपलब्ध

नेशनल पुलिस कमिशन, (1981). जि ओ आई. सिक्स्थ रिपोर्ट https://police.py.gov.in/Police%20Commission%20reports/6th%20Police%20Commission%20Report.pdf. पर उपलब्ध

शर्मा, आशा (2014, जून 14). राजस्थान: लाश झूलती रही लोग मोलभाव करते रहे. बीबीसी हिंदी. https://www.bbc.com/hindi/mobile/india/2014/06/140612_rajasthan_mautana_ap पर उपलब्ध

सुब्रमण्यम,केएस(2007). पॉलीटिकल वायलेंस एंड पुलिस इन इंडिया. सेज पब्लिशिंग

"प्रशिक्षण और इससे सम्बन्धित अच्छे आचरण के अनुप्रयोग"

श्री उदित नारायण
सहायक सेनानी, भा.ति.सी.पु.बल, मध्य प्रदेश

"प्रशिक्षण" एक सामान्य परिचय-

सरल शब्दों में कहें तो प्रशिक्षण का अर्थ है ज्ञान का व्यावहारिक अनुप्रयोग जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक विशेष कौशल, ज्ञान का अधिग्रहण एवं सीखने की व्यहवारिक प्रक्रिया का ज्ञान प्रदान करने का कार्य किया जाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है "प्र" एवं "शिक्षण", जहां शिक्षण एक व्यक्ति को सैद्धांतिक अवधारणाओं के साथ शिक्षित करने की एक प्रक्रिया है और एक शिक्षक और छात्र के बीच एक तरह का ज्ञान हस्तांतरण है, वही "प्र" शब्द का अर्थ किसी भी क्रिया को उत्तरोत्तर अवस्था में ले जाना है।

शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों एक व्यक्ति की दक्षताओं के निर्माण से संबंधित है। अधिकतर, विद्यालयों में शिक्षण का अभ्यास किया जाता है, जबकि सेना, पुलिस आदि के कार्यस्थलों में प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि मे तो यह कहूंगा कि सशत्र बलों के प्रशिक्षण में शिक्षण एवं प्रशिक्षण दोनों कलाएं संयुक्त रूप से विद्यमान रहती हैं। यह लेख इन दो अवधारणाओं, शिक्षण और प्रशिक्षण के बारे में एक छोटा विश्लेषण करता है।

प्रशिक्षण की प्रक्रिया बिल्कुल भी शिक्षण की प्रक्रिया के समान नहीं है, जो किसी संस्थान में व्यवस्थित सीखने की एक प्रक्रिया है जो कर्मचारियों में निर्णय और तर्क की भावना विकसित करती है। यह सभी कर्मचारियों को समान रूप से दिया जाता है, भले ही उनकी व्यक्तिगत शैक्षणिक उपलब्धि अलग-अलग हो, और यही प्रथकता इसे विशिष्ट बनाती है। प्राकृतिक रूप से भी इस ब्रह्माण में उपस्थित प्रत्येक जीव अपने - अपने तरीके से अपनी पीढ़ी को जीवन जीने के लिए प्रशिक्षण देती है।

मूल उद्देश्य-:

यदि प्रशिक्षण के मूल उद्देश्यों की बात की जाए तो हम निम्नलिखित बिंदुओं को उद्देश्यों की परिधि में बांधने का प्रयास कर सकते है।

क) कार्य दशाओं, वातावरणीय दशाओं एवं संगठनात्मक संस्कृति के अनुकूल बनाना।

ख) न्यूनतम लागत, अपव्यय एवं बर्बादी तथा न्यूनतम पर्यवेक्षण पर कर्मचारियों से श्रेष्ठ ढंग से कार्य सम्पादन को प्राप्त करना।

ग) प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं आदि से बचाव की विधियों से परिचित कराना।

घ) आधिकारिक कार्य सम्पादन सम्बन्धी प्रक्रियाओं से परिचित कराना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रशिक्षण की प्रक्रिया को निम्नलिखित तीन(03) वर्गों में विभाजित किया जा सकता है।

1. शुरुआती प्रशिक्षण
2. अंतःकार्य प्रशिक्षण
3. कार्योत्तर प्रशिक्षण

उपरोक्त तीनों वर्गो पर बहुतायत लेख लिखे जा चुके है जिनके अंतर्गत प्रशिक्षण को अत्यंत व्यापक एवं सार्थक रूप से परिभाषित तथा व्याख्यायित किया जा चुका है। प्रशिक्षण से संबंधित किसी भी प्रकार के कोई नवीन या विकासोनोमुख शब्द नहीं है जिनका यहां पृथक रूप से उल्लेख किया जा सके और उन्हें मौलिक रूप प्रदान कर सके क्योंकि प्रशिक्षण के संदर्भ में पूर्व में प्रकाशित राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय लेख अपने आप में विश्वरूपीय है और उनमें किसी भी प्रकार के अलंकरण की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

प्रशिक्षण का सिद्धांत -: प्रशिक्षण के सिद्धांत की इस प्रकार समझा जा सकता हैः-

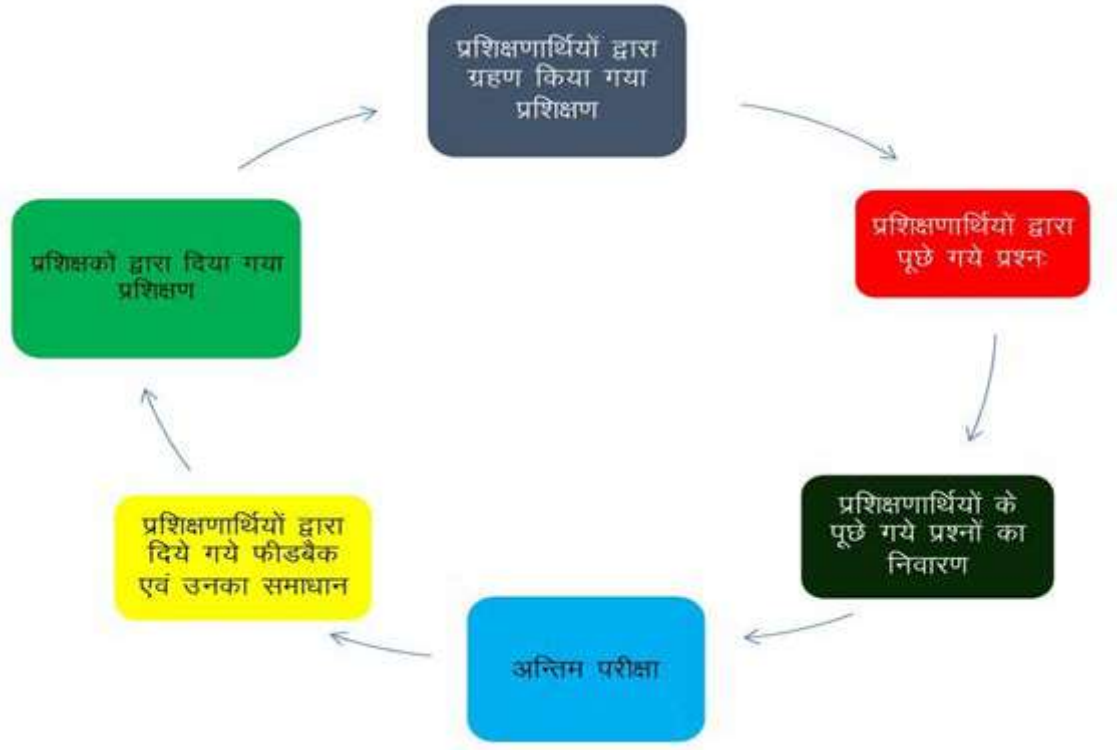

उपरोक्त आकृतिक रचना से स्पष्ट है कि प्रशिक्षण का क्रियान्वयन एक सुनिश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। इस प्रक्रिया को और आकर्षक बनाने के लिए प्रशिक्षक भिन्न- भिन्न सहायक प्रशिक्षण तत्वों जैसे- चित्रों- चलचित्रों के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, पॉवर प्वॉइंट प्रदर्शन आदि अन्य आधुनिक माध्यम का प्रयोग करते है ताकि प्रशिक्षण में रोचकता एवं सरलता बनी रहे और प्रशिक्षणार्थी व्यापक रूप से विषय की गूढता को समझ सके।

सकारात्मक परिणाम प्राप्ति-:

प्रायः यह देखा गया है कि उपरोक्त सभी प्रकार के सहायक प्रशिक्षण तत्वों, आधुनिक मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं, व्यवस्थित प्रशिक्षण तंत्रों, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्याख्याओं एवं प्रदर्शन के बावजूद भी

प्रशिक्षण संबंधी प्रक्रिया अपनी उच्चतम अवस्था की स्थिति को प्राप्त करने में पूरी तरह से सफल नहीं होती है। हर क्षण, अवस्था में गहन चिंतन तथा बदलाव की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसे मैं एक विडंबना ही कहूंगा कि कुछ भी शत-प्रतिशत नहीं है। क्या हम अधिक जटिल प्रक्रियाओं के सिद्धांत का परिपालन कर रहे है? या हम सामान्यकरण से दूर हो रहे है? आखिर कुछ विषमताएं तो अस्तित्व में है जो अदृश्य है या जिनका निराकरण पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है जिसके परिणामस्वरूप सकारात्मक परिणाम प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न होता है।

यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि सशस्त्र बलों की प्रशिक्षण प्रक्रिया एवं प्रकृति किसी भी अन्य प्रशिक्षण की प्रक्रिया से पूर्णतया भिन्न होती है यहां प्रशिक्षणार्थियों को उस प्रतिकूल समय के लिए तैयार किया जाता है जब आम इंसान की शक्तियां, पहुंच, तर्क विश्लेषण क्षमता आदि सभी अवस्थाएं निर्वात में चली जाती है। अतः सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया में कार्य सामंजस्य एवं सामाजिक सामंजस्य का बेजोड़ गठबंधन होता है जो शिक्षण एवं प्रशिक्षण दोनों के माध्यम से ही पूर्णता की स्थिति को प्राप्त करता है।

और अधिक शब्दो से प्रशिक्षण संबंधी विशाल विषय को परिभाषित करने का प्रयास नहीं करना है, सीधे ही, सपोर्ट वैपन ट्रैनिंग स्कूल से संबंधित उन प्रशिक्षण संबंधी समस्याओं, विषमताओं एवम अनिश्चिताओं का उल्लेख जिनका समाधान संस्थान द्वारा "अच्छे आचरण के अनुप्रयोगों" द्वारा करने का प्रयास किया गया जिनके परिणामस्वरूप अधिकांश क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति हुई हैं और शेष में भी प्रयास उन्नति की ओर अग्रसर है।

संस्थान में परिलक्षित प्रशिक्षण विषमताएं -:

हमारे प्रशिक्षण संस्थान में सपोर्ट हथियारों- 81 एमएम मोर्टार, 7.62एमएम मीडियम मशीन गन, 84 एमएम सीजीआरएल, 30एमएम ए. जी. एस. तथा 7.62mm स्नाइपर राइफल का प्रशिक्षण दिया जाता है जिनके प्रशिक्षण में अंकगणितीय आंकड़े तथा सामरिक पहलुओं का मिश्रित गठबंधन होता है, जिनके आधार पर ही प्रशिक्षणार्थी इन हथियारों का सार्थक उपयोग करने में सक्षम होते है अतः दोनों विषय पर बराबर अधिकार होना आवश्यक है तदुप्रांत ही हथियारों के साथ सामरिक न्याय संभव है। परंतु सभी प्रकार की प्रशिक्षण योजनाओं, अनुभवी प्रशिक्षक तथा प्रशासक, प्रशिक्षण सहायक तत्त्वों, कुशल प्रबंधन एवं भूतकाल से अर्जित गहन अनुभवों के बावजूद भी प्रशिक्षणार्थियों के द्वारा सार्थक परिणाम प्राप्ति होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। जिनका अनुसंधानिक मूल्यांकन करने के उपरांत निम्नलिखित विसंगतियां दृष्टिगोचर हुई।

1. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा हथियार संबंधी आंकड़ों एवं गणितीय सूत्रों का पूर्णतया याद न रख पाना।
2. कंप्यूटराइज डाटा उपकरणों का अभाव, चूंकि उपरोलिखित सपोर्ट हथियारों में आंकड़ों को दर्ज करने कार्य मानवीय एवं मानविक यांत्रिक उपकरणों के माध्यम से किया जाता है जिसमे गलती होने की संभावना व्याप्त रहती है।
3. प्रशिक्षणार्थियों द्वारा दिए गए प्रश्नों के उत्तर एवं प्रेसी में दिए गए उत्तरों में एकरूपता का अभाव।
4. प्रेसी में दिए गए विषयों को रटने की प्रवृत्ति के कारण व्यक्तिगत मौलिक सिद्धांत समझ का अभाव।

उपरोक्तलिखित समस्याओं का तार्किक अवलोकन करने के उपरांत प्रत्यक्ष रूप से यह संज्ञान में आया कि प्रशिक्षणार्थी को विषय की जानकारी तो समुचित है लेकिन प्राकृतिक रूप से उसके मस्तिष्क में स्वयं उत्प्रेरित या जनित क्रियान्वयन का अभाव है जिस कारण से वह व्यावहारिक रूप से सफल नहीं हो पा रहा है जिसके परिणामस्वरूप वांछित उद्देश्य के सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे है।

अतः उपरोक्त के निवारण हेतु संस्थान द्वारा योजनाबद्ध प्रणाली के तहत निम्नलिखित अनुप्रयोगों को अपनाने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया।

(क) व्यक्तिगत आंकलन टिप्पणी प्रणाली (Personal Assessment Note System)

(ख) मुक्त या खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली (Open Book Examination System)-:

क) व्यक्तिगत आंकलन टिप्पणी प्रणाली (Personal Assessment Note System

उद्देश्य- इस अनुप्रयोग के निम्नलिखित उद्देश्य थे:-

1. प्रशिक्षणार्थियों के अंदर मुक्त वैचारिक अवधारणा को विकसित करना।
2. स्वतंत्र लेखन की कला को विकसित करना ताकि प्रशिक्षणार्थी सिखाए गए विषयों को, अपने विचार एवं अपने तरीके से अपनी भाषा में बिना मूल सैद्धांतिक बदलावों के प्रकट कर सके।
3. रटने की प्रक्रिया को समाप्त करना।

अनुप्रयोग की उत्पति का कारण-:

प्रशिक्षणार्थियों के प्राप्त परीक्षा परिणामों एवं उनके द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर यह संज्ञान में आया कि प्रशिक्षणार्थी का ध्यान और समय उपलब्ध प्रेसी या पुस्तिका में उल्लेखित विषयों को रटने पर ज्यादा व्यय हो रहा है जिसके परिणाम स्वरूप न तो उनके द्वारा सही प्रकार से प्रतिउत्तर दिया जा रहा है और न ही वे अपने स्वतंत्र तरीके से विषय को समझा पा रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रशिक्षणार्थियों की मौलिक समझ या विवेक उपयोग (एप्लीकेशन ऑफ माइंड) का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है।

अनुप्रयोग का क्रियान्वयन -:

इस अनुप्रयोग के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों को दिशा- निर्देश दिए गए कि पाठयक्रम के अनुसार प्रतिदिन जिस भी विषय का प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी सिखाए गए उस विषय को अपनी भाषा, अपने तरीके से लिखेगा बशर्ते उसकी मूल सैद्धांतिक अवधारणा में कोई बदलाव न हो और अगले दिन उसे प्रशिक्षक को सौंपेगा, प्रशिक्षक उसी दिन उस नोट की जांच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षणार्थी ने विषय के मूल उद्देश्य (Conceptual Object) को समझा हैं या नहीं और पुनः उस नोट को आवश्यक दिशा- निर्देशों (यदि आवश्यक है तो) के साथ प्रशिक्षणार्थियों को सौप देगा। प्रशिक्षणार्थी, प्रतिदिन हुई इस प्रक्रिया के अंतर्गत स्वयं की समझ तथा आंकलन कर इन नोट्स को संकलित करते है और मुख्य अंतिम परीक्षा में त्वरित संदर्भ के रूप में इनका उपयोग करते है।

(ख) मुक्त या खुली पुस्तक परीक्षा प्रणाली (Open Book Examination System)-:

उद्देश्य -: इस अनुप्रयोग प्रणाली के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि अंतिम प्रशिक्षण परीक्षा में प्रशिक्षणार्थियों को त्वरित एवं वास्तविक संदर्भ हेतु उसके द्वारा तैयार किए गए व्यक्तिगत नोट्स, हथियार संबंधी प्रेसी/ पुस्तिका आदि अन्य के प्रयोग करने की स्वतंत्रता दी जाएगी ताकि प्रशिक्षणार्थी आंकड़े एवं गणितीय सूत्र संबंधित व्याख्या में ना उलझ कर समय बर्बाद न करे और सार्थक परिणाम की ओर अग्रसर हों।

अनुप्रयोग की उत्पत्ति का कारण-:

जैसा की विदित है कि वर्तमान समय सपोर्ट हथियारों की श्रंखला में जितने भी हथियार है उनसे किसी भी लक्ष्य को बर्बाद करने के लिए एक सटीक आंकड़ों एवं गणितीय गणना की आवश्यकता होती है, अगर सही डाटा हथियार पर न लगाया जाए, या सही गणना न की जाए तो सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे तो फिर स्मृति पर आधारित आंकड़ों, सूत्रों या प्रक्रिया को क्यों अपनाया जाए जबकि वर्तमान समय में डाटा को दर्ज करने वाले उपकरण साइट आदि कंप्यूटराइज्ड नहीं है, जिसके कारण गलत डाटा लगने एवं गलत गणितीय गणना होने की अपार संभावना व्याप्त रहती है साथ ही साथ वास्तविक युद्ध क्षेत्र की अपनी चुनौतियां होंगी जहां सटीकता और अचूकता ही सर्वप्रथम और सर्वोत्तम होंगी। वर्तमान समय में प्रत्येक आधुनिक हथियार का उपयोग एक निश्चित गणितीय गणना पर आधारित होता है, गणना गलत, परिणाम गलत।

अनुप्रयोग से संबंधित चुनौतियां एवं क्रियान्वयन-:

यह अनुप्रयोग अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है और शायद ही देश के किसी भी शस्त्र बलो के प्रशिक्षण संस्थानों में इस प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा हो।

इस अनुप्रयोग का आरंभिक चरण अत्यंत ही चुनौती वाला था क्योंकि इस नवीन प्रणाली में ना केवल प्रशिक्षणार्थियों के विषय में ही सोचना था बल्कि अंतिम परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र किस प्रकार तैयार किए जाए ताकि प्रशिक्षणार्थी को संदर्भ पुस्तिका का सहारा इतनी भी आसानी से प्राप्त न हो कि वह किताब खोले और उत्तर लिख दे। पुरानी परंपरागत प्रश्न प्रणाली के स्थान पर मस्तिष्क या विवेक प्रयोग आधारित प्रश्नों को परीक्षा में सम्मिलित किया गया, जिसमे एक से अधिक प्रश्नों का व्यहवारिक समावेश था जिसका उत्तर केवल तभी दिया जा सकता था जब प्रशिक्षणार्थी द्वारा उस विषय का पूर्णतः वैचारिक अध्ययन किया गया हो क्योंकि किसी भी प्रश्न का उत्तर सीधे ही संदर्भित पुस्तिका या प्रेसी में नहीं मिलता था। चूंकि कोई भी परीक्षा एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत ही पूर्ण होती है जिस कारण प्रशिक्षणार्थी को समय का भी ध्यान देना पड़ता था।

अतः प्रश्न पत्रों को पुरानी प्रचलित प्रणाली से हटाकर नई प्रणाली के आधार पर तैयार करना प्रशिक्षकों के लिए अत्यंत ही चुनौती पूर्ण कार्य था जिसके अनुपालन में निसंदेह अधिक समय लगा।

उपरोक्त अनुप्रयोगों के लाभ-:

1. प्रशिक्षणार्थियों में स्वत: आकलन प्रक्रिया का निर्माण हुआ।
2. प्रशिक्षणार्थी मौलिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुए।
3. प्रशिक्षणार्थियों में रटने की प्रवृत्ति के स्थान पर वैचारिक एवम् व्यावहारिक अध्ययन को बढ़ावा मिला।

4. प्रशिक्षणार्थी,परीक्षा में सफलता तथा असफलता से हटकर मुक्त एवं व्यावहारिक अध्ययन की ओर अग्रसर हुए।

उपरोक्त दोनों सफल अनुप्रयोगों के अतिरिक्त एक और अच्छा अनुप्रयोग संस्थान द्वारा जनित हुआ जिसकी विस्तृत व्याख्या निम्नलिखित है।

"बीटन जोन या मार का इलाका" का अनुप्रयोग-:

जैसा की पूर्व में अवगत कराया जा चुका है कि सपोर्ट वैपन ट्रैनिंग स्कूल प्रशिक्षण संस्थान में सपोर्ट हथियारों का प्रशिक्षण दिया जाता है और किसी भी हथियार एवं उसके उपयोग के संबंध में एक विशेष विषय या स्थिति का अध्ययन अनिवार्य रूप से करवाया जाता है जिसे "बीटन जोन" या "मार का इलाका" कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो बीटन जोन को इस प्रकार समझा जा सकता है कि हथियार से निकलने के बाद गोलियां, बॉम्ब आदि जमीन पर किसी निश्चित आकार परिसीमा में गिरते है, वह क्षेत्र उस हथियार की गोलियों, बॉम्ब आदि का "बीटन जोन या मार का इलाका" कहलाता है। अर्थात इसके बिना किसी भी हथियार का अध्ययन अधूरा है।

यद्यपि "बीटन जोन या मार का इलाका" को विभिन्न प्रकार के परिभाषिक उदाहरणों,सहायक उपस्करों जैसे एनीमेशन के माध्यम से, पावर प्वाइंट प्रसेंटेशन आदि नवीन तकनीक के माध्यम से सरल से सरल भाषा, चल चित्र आदि में समझाने का प्रयास किया जाता है फिर भी इसका सजीव दर्शन लगभग असम्भव है। चूंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अतः इसे और कैसे सरलता से समझाया जाए ताकि प्रत्येक स्तर पर इस जानकारी जा सामान्यकरण किया जा सके।

"बीटन जोन या मार का इलाका" के अनुप्रयोग का क्रियान्वयन-:

इस अनुप्रयोग के अंतर्गत "बीटन जोन या मार का इलाका" की प्रक्रिया को समझाने के लिए उच्च शक्ति के जल प्रवाह को किसी भी जेट प्रेशर के माध्यम से समझाया जाता है, एक तीव्र जल प्रवाह को किसी भी पाईप के माध्यम से बाहर की तरफ रोक कर इस प्रकार फेंका जाता है, जैसे किसी सब मशीन गन या मशीन गन से गोलियां निकलती हो। इस प्रक्रिया में तीव्र गतीय जल की बूंदों का व्यहवार लगभग गोलियों के व्यहवार के समान ही होता है, जैसे- हवा में जंप करते हुए उपर की तरफ एक लगभग शंकु का आकार प्राप्त करना, पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी का बनना, और जमीन पर एक निश्चित लंबाई- चौड़ाई का आकार लेते हुए गिरना, जैसा की असली गोलियों के बीटन जोन में होता है।

उपरोक्त प्रक्रिया असली बीटन जोन के लगभग सदृश एवं समानांतर क्रियान्वित होती है और प्रशिक्षणार्थियों को एक सजीवता का अनुभव प्राप्त होता है। इस अनुप्रयोग को सभी वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों - सिपाही, हवलदार, अधीनस्थ अधिकारियों एवं अधिकारियों को प्रदर्शन के तौर पर दिखाया एवं समझाया जा रहा है जिसकी बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है।

नीचे दिखाए गए चित्रों के माध्यम से इस प्रक्रिया को सरलता से समझा जा सकता है, सरलीकरण का यह एक अनुपम उदाहरण है।

जैसा कि चित्रों के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि तेज पानी की धार को जब जमीन के समांतर फेकते हैं (जिसको हथियार के क्षेत्र में ग्रेजिंग फायर कहते है) तो पानी की बूंदों से एक निश्चित ज्यादा लंबाई तथा कम चौड़ाई की एक आकृति जमीन पर बनती है, ग्रेजिंग फायर में भी बने बीटन जोन की लंबाई ज्यादा चौड़ाई कम बनती है। वहीं दूसरे प्रकार से जब, पानी की तेज धार को थोड़ा उठाकर, या ऊंचा कर पानी फेकते हैं, तो उसी दूरी पर बीटन जोन की लंबाई थोड़ी कम हो जाती है तथा चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाती है।

अतः उपरोक्त छोटे से प्रयोग के माध्यम से हथियार के बीटन जोन या मार का इलाका, को प्रत्येक वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को सरलता एवं सुगमता से समझाया जा सकता है।

अंत में, यह कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण एक नियमित प्रक्रिया है और छोटे-छोटे अच्छे अनुप्रयोगों के माध्यम से इस विषय में रोचकता प्रदान की जा सकती है, कुछ अनुप्रयोग सफल हो सकते हैं एवं कुछ नहीं, लेकिन अच्छे आचरण के अनुप्रयोगों को नियमित रूप से चलन में लाना अति आवश्यक है ताकि मौलिक अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्र प्रशिक्षण की व्यवहारिकता को बढ़ावा मिल सके।

****

सोशल मीडिया और महिलाओं की सुरक्षा

डॉ. जालम सिंह
हैड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, जैसलमेर

प्रस्तावना

1995 में **'बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन'** ने मीडिया को महिलाओं की उन्नति में एक बहुत बड़े योगदान के रूप में मान्यता प्रदान की। आज महिला सुरक्षा का विषय एक समकालीन सरोकार का विषय है। हमारे देश के संविधान में महिलाओं को लैंगिक समानता की गारंटी दी गई है ताकि हिंसा मुक्त वातावारण में सशक्त महिलाएँ सम्मान के साथ रहे तथा देश के विकास में पुरूषों के समान भागीदारी निभा सके। संविधान के अनुच्छेद 15(1), 15(3), 16, 39(ए), 39(डी), 39(क), 42, 46, 47, 51(ए) (ई),243(डी) (4), 243 (टी) (8), में महिला सुरक्षा के उपायों का समावेश किया गया है। आज का युग सूचना एवं प्रौद्योगिकी का युग है। विश्व को एक डिजिटल युग का रूप दिया गया है। समय में बदलाव के साथ, कंप्यूटर के साथ-साथ इंटरनेट का आविष्कार हुआ। इंटरनेट की खोज ने सोशल मीडिया चैनल्स् जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी विधाओं को जन्म दिया। पुरूषों के साथ-साथ महिलाओं ने भी इन सोशल मीडिया माध्यमों का प्रयोग कर अपनी सफलतम कहानियों को शेयर करना शुरू किया। आज कल सोशल मीडिया महिलाओं की जिंदगी का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। समय में बदलाव के साथ महिलाएँ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन हिंसा का शिकार होने लगी। कुछ संकीर्ण मानसिकता वाले लोग यह अनैतिक कार्य करने लगे। महिलाओं ने डटकर इस हिंसा का सामना किया। पुलिस ने महिलाओं की इन शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सुरक्षा का काम करना सुनिश्चित किया।

- **समाज में महिलाओं पर सोशल मीडिया का प्रभाव**

ज्ञान ही शक्ति है। हम सभी इस बात को मानते है। इसमें सोशल मीडिया की सशक्त भूमिका है। साथ ही यह बात भी निर्विवाद सत्य है कि हमारी सामाजिक,सांस्कृतिक एवं आर्थिक व्यवस्था के साथ-साथ हमारे समग्र दृष्टिकोण को प्रभावित करने में सोशल मीडिया अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया एक नया फोरम है जो लोगों को विचार आदान - प्रदान करने, उनसे जुड़ने एवं साथ ही सलाह लेने के लिए एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। सोशल मीडिया ने संचार बाधाओं को दूर कर विकेन्द्रीकृत संचार चैनल के माध्यम से दरवाजे खोले हैं और सभी लोगों की आवाज एवं भागीदारी को इस लोकतांत्रिक फैशन मेले में भाग लेने का मौका दिया है। महिलाओं ने भी इस मेले में पुरूषों की बराबरी में भाग लेकर इंटरनेट का उपभोग करना शुरू किया है। आज हम देखे तो भारत की कुल जनसंख्या 1.37 बिलियन है। जिसमें 48 प्रतिशत जनसंख्या महिलाओं की है। सोशल मीडिया मैनेजमेंट फर्म HOOT SUITE द्वारा WE ARE SOCIAL की जनवरी 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार

भारत में 400.0 मिलियन एक्टिव सोशल मीडिया उपयोगकर्ता है एवं कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत हिस्सा इंटरनेट का प्रयोग करता है। भारत में 260 मिलियन फेसबुक उपयोगकर्ता है। लंदन की ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन की मोबाइल जेंडर गैप रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में 59 प्रतिशत महिलाओं के पास मोबाइल फोन हैं।

आजकल महिलाएँ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से जुड़कर अपने मित्र बनाती हैं, उनसे चैट करती हैं। महिलाएँ आज अपनी बिंदास भूमिका में रहना पसंद करती हैं। वह पढ़ाई के लिए बड़े-बड़े मेट्रो शहरों में रहकर शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सी.ए., न्यायाधीश, वकील, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी बनकर समाज एवं कॉरपोरेट घरानों में कार्य कर रही हैं। महिलाएँ आज इंटरनेट का उपयोग कर ई-कॉमर्स व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपभोग की वस्तुएँ खरीद कर अपनी परिवारों का गुजारा कर रही हैं। इस प्रकार महिलाओं पर सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। गत वर्ष अंतर्राष्टीय महिला दिवस 8 मार्च, 2020 के अवसर पर **माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी** ने महिलाओं को सोशल मीडिया अकाउंट समर्पित कर महिलाओं में एक नयी उम्मीद बांधी है। **माननीय प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा था कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट के जरिये 7 महिलाओं की प्रेरक कहानियाँ लोगों के सामने आयी है। आगे भी उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी मुहिम चलती रहे।** परन्तु आज के समाज के अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण सोशल मीडिया के विभिन्न रूप जो कि महिलाओं के सौंदर्य बोध को बिगाड़ने का काम कर रहे है। आजकल सोशल मीडिया पर महिलाओं की भूमिका का चित्रण विज्ञापनों तथा मानसिक प्रताड़ना पर केन्द्रीत है। आज महिलाएँ सोशल मीडिया पर अनैतिकतापूर्ण वातावारण, नैतिक मूल्यों का ह्रास, ऑनलाइन हरेसमेंट, सेक्स हिंसा, अश्लीलता जैसी संस्कृतियों का सामना कर रही है। जो हमारे सभ्य समाज के लिए एक चिंतनीय मुद्दा है। लोग आज किसी जान/अनजान महिला की सोशल साइट्स की मीडिया पोस्ट पर नारी की गरीमा को तार-तार करने वाले असभ्य पोस्ट लिखते है।

- **सोशल मीडिया और महिलाओं की सुरक्षा**

भारत में डाटा की कीमत पूरी दुनिया में सबसे कम है। भारत में स्मार्ट फोन का एक बहुत बड़ा बाजार है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 2023 तक भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 90.7 करोड़ हो जायेगी जो देश की आबादी का 64 प्रतिशत होगी। आजकल एक भारतीय लगभग 6.30 घंटे इंटरनेट पर बिताता है। आज हमारे धर्मग्रंथों में नारी के सम्मान में दिया गया वह नारा जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। वह धुंधला हो गया लगता है। आज लोग घिनौने अपराध के विडियों इंटरनेट पर लगातार खोज रहे हैं। हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक रूप से विकृत हो चुका है। हालांकि भारत में 827 पोर्न साइट्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। परन्तु आज पीड़िता महिलाओं के विडियो को 80 लाख लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। यह आँकड़ा सिर्फ एक पोर्न साइट का है। अन्य पर क्या हाल होगा। इस प्रकार की सोच का विश्लेषण करना हमारे लिए परीक्षा की घड़ी है। आज संसार के अधिकांश देशों में प्रयोग होने वाले मुख्य वैश्विक सोशल साइट प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम,

ट्विटर, प्रिंटेस्ट, टिकटोक की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। डिजिटलाइजेशन के दौर ने एवं मोबाइल की सर्वसुलभता ने वैश्विक स्तर पर साइबर अपराधों में वृद्धि की। **माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने "साइबर संबंधी जोखिमों को रक्तहीन वैश्विक युद्ध कहा है।"** ऐसे परिदृष्य में हमारी पुलिस की जिम्मेदारी और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है।

- **भारत मे सोशल मीडिया एवं अपराधों की स्थिति**

भारत में सोशल मीडिया एवं महिलाओं की सुरक्षा एक नई अवधारणा है। हालांकि भारतीय दंड संहिता पहले से कानून के क्षेत्र में काम कर रही है। समय के बदलाव के साथ इसमें कई परिवर्तन किये गये है। परन्तु हालिया वर्षों में सूचना एवं प्रौद्योगिकी ने खासकर मोबाइल, कंप्यूटर ने नए - नए सोशल मीडिया अपराधों को जन्म दिया। महिलाएं विभिन्न प्रकार की हिंसा की शिकार होती है। हिंसा के अंतगर्त शारीरिक, मानसिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक एवं लैंगिक हिंसा हैं। जिसमें से कुछ अपराध भारतीय दंड संहिता में दर्ज किये जाते है एवं कुछ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2008 में संशोधित) के अंतगर्त, जो कि स्थानीय एवं विशेष कानूनों का एक भाग है।। भारत में अपराधों के संबंध में आपराधिक सूचना रखने वाले **राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो** की रिपोर्ट के अनुसार ऐसे अपराध साइबर अपराध कहलाते है। जिनका विवरण इस प्रकार है-

- साइबर ब्लैक मेल/धमकी, यदि ईमेल पर धमकी भरा संदेश भेजा जाता है तो मामले की परिस्थिति के अनुसार महिलाओं के मामले में 506, 503 एवं 384 आई.पी.सी. के अंतगर्त तथा आई.टी. एक्ट की धारा 67 के अंतगर्त कार्यवाही होती है।
- साइबर पोर्नोग्राफी- साइबर पोर्नोग्राफी महिलाओं की अश्लील फोटो या वीडियो हासिल कर उन्हे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया जाता है। इसमें 292 भारतीय दंड संहिता एवं पुलिस मामले की परिस्थिति के अनुसार 293 को भी जोड़ सकती है। साथ ही आई.टी. एक्ट की धारा 67 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। यदि लड़की नाबालिग है तो पोक्सो एक्ट 2012 की धारा 13 एवं 14 के अंतगर्त दंडनीय है।
- साइबर स्टॉकिंग/बुलीइंग - यह ऑनलाइन उत्पीड़न का एक रूप है। इसमें महिला से संबंधित गतिविधियों को ऑनलाइन मॉनिटर किया जाता है, संदेश भेजना, मित्रता हेतु रिक्वेस्ट भेजना, स्टेट्स पर नजर रखना एवं इंटरनेट निगरानी इसकी श्रेणी में आते है। इस तरह का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी के अंतगर्त दंडनीय है। साइबर बुलीइंग के तहत अपराधी महिलाओं एवं लड़कियों को दोस्त बनाते हैं और फिर उन्हे विश्वास में लेकर नजदीकियां बढ़ाने के बाद महिला या लड़की का फोटो हासिल कर लेते हैं। इसके बाद पीड़िता से मनचाहे काम करवाने के लिए ब्लैकमेल करते हैं और फेसबुक जैसी सोशल मीडिया साइट पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं और इंटरनेट पर धमकियां देते हैं।
- मानहानी- इसके तहत व्यक्ति या महिलाओं के बारे में बदनाम करने वाली जानकारी प्रकाशित करना या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप पर वायरल करना शामिल है। जिससे महिला को

मानसिक पीड़ा या दर्द का कारण बनकर प्रतिष्ठा को धक्का लगता है। इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के अंतगर्त कार्यवाही की जाती है।

- महिला की अश्लील प्रोफाईल - किसी महिला के चेहरे के साथ एक फेक अश्लील फोटो बनाना एवं उसकी सोशल नेटवर्क वेबसाईट पर नकली प्रोफाईल अपलोड कर महिला की अश्लील प्रोफाईल पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने पर पुलिस द्वारा इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 465, 469 आईपीसी (जालसाजी, मानहानि के लिये जालसाजी), और आईटी एक्ट की धारा 67 (इलेक्ट्रोनिक रूप में अश्लील सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण) में मामला दर्ज करना होगा।

एन.सी.आर.बी. रिपोर्ट, 2019 व 2020 क्राईम इन इण्डिया का विष्लेषण

भारतवर्ष में 2019 की अवधि के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित जो अपराध दर्ज हुए है। वे आज के युग के साइबर अपराध है। एनसीआरबी की वर्ष 2019 एवं 2020 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में साईबर अपराध के कुल 44735 केस दर्ज किये गये थे जो वर्ष 2020 में बढ़कर 50,035 हो गये हैं। साइबर अपराध की जो मुख्य घटनाएँ हुई हैं जिन्हे पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2008 में संशोधित) के अंतगर्त दर्ज की गई है,उनका समावेश क्रमश अग्रांकित तालिका एवं चार्ट संख्या 1 एवं 2 में किया गया है।

भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज साइबर अपराध

तालिका सं. 1

क्र. सं.	अपराध का शीर्षक	भा.दं.सं. के तहत दर्ज अपराध की मुख्य घटनाएँ	
		2019	2020
1	फ्रॉड (भा.दं.सं. की धारा 420)	6233	10395
2	छल करना	3393	4480
3	साइबर स्टॉकिंग (भा.दं.सं. की धारा 354 ड़)	777	872
4	जालसाजी (भा.दं.सं. की धारा 465,468 एवं 471)	512	582
5	साइबर ब्लैकमेलिंग (भा.दं.सं. की धारा 506,503,384)	372	303
6	डाटा की चोरी (भा.दं.सं. की धारा 379 से 381)	285	98
7	सोशल मीडिया पर फर्जी खबर (भा.दं.सं. की धारा 505)	190	578

स्रोत - एन.सी.आर.बी रिपोर्ट 2019 व 2020,क्राइम इन इण्डिया

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2008 में संशोधित) के अंतगर्त दर्ज अपराध

तालिका सं. 2

क्र. सं.	अपराध का शीर्षक	सू.प्रौ. अधिनियम के तहत दर्ज साइबर अपराध की मुख्य घटनाएँ	
		2019	2020
1	पहचान की चोरी (सू.प्रौ. अधि. की धारा 66 सी)	12255	5148
2	रैंसमवेयर के अलावा अन्य अपराध (सू.प्रौ. अ. की धारा 66)	3444	3830
3	कंप्यूटर के माध्यम से व्यक्ति द्वारा धोखा (सू.प्रौ. अ. की धारा 66 डी)	5520	11191
4	रैंसमवेयर (सू.प्रौ. अ. की धारा 66)	1023	727
5	निजता का हनन (सू.प्रौ. अ. की धारा 66 इ)	812	742
6	अश्लील/ कामुकता का प्रकाशन/ प्रसारण (सू.प्रौ. अ. की धारा 67)	4187	6308

स्रोत - एन.सी.आर.बी रिपोर्ट, 2019 व 2020, क्राईम इन इण्डिया

चार्ट संख्या 1

वर्ष 2019 व 2020 में भारतीय दंड संहिता के तहत दर्ज मुख्य साइबर अपराध

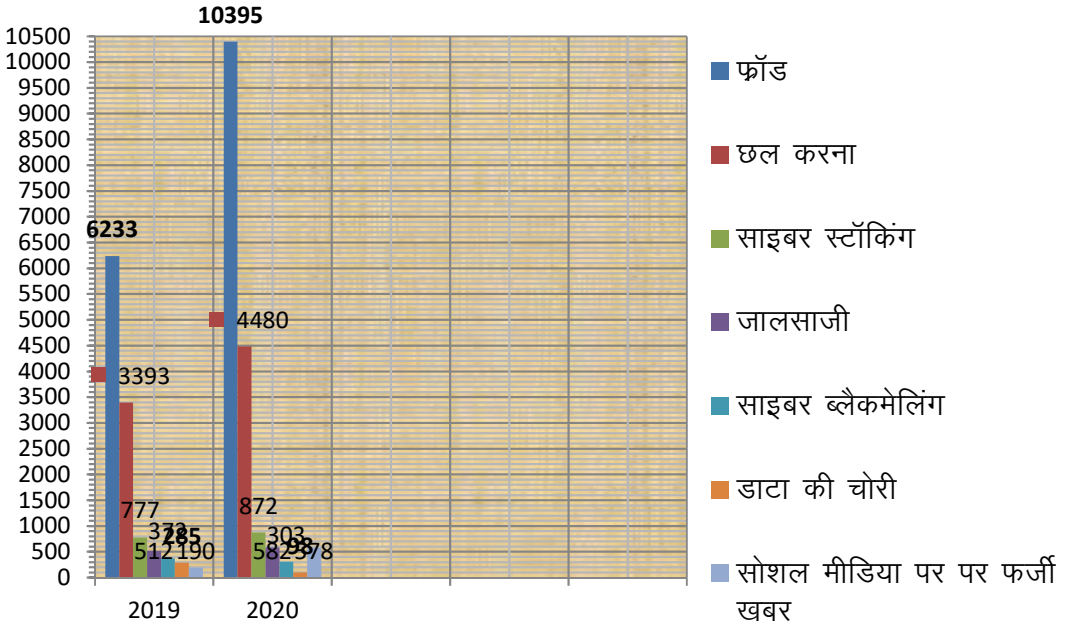

स्रोत - एन.सी.आर.बी रिपोर्ट 2019 व 2020, क्राइम इन इण्डिया

चार्ट संख्या 2

वर्ष 2019 व 2020 में आई.टी. एक्ट में दर्ज मुख्य अपराध

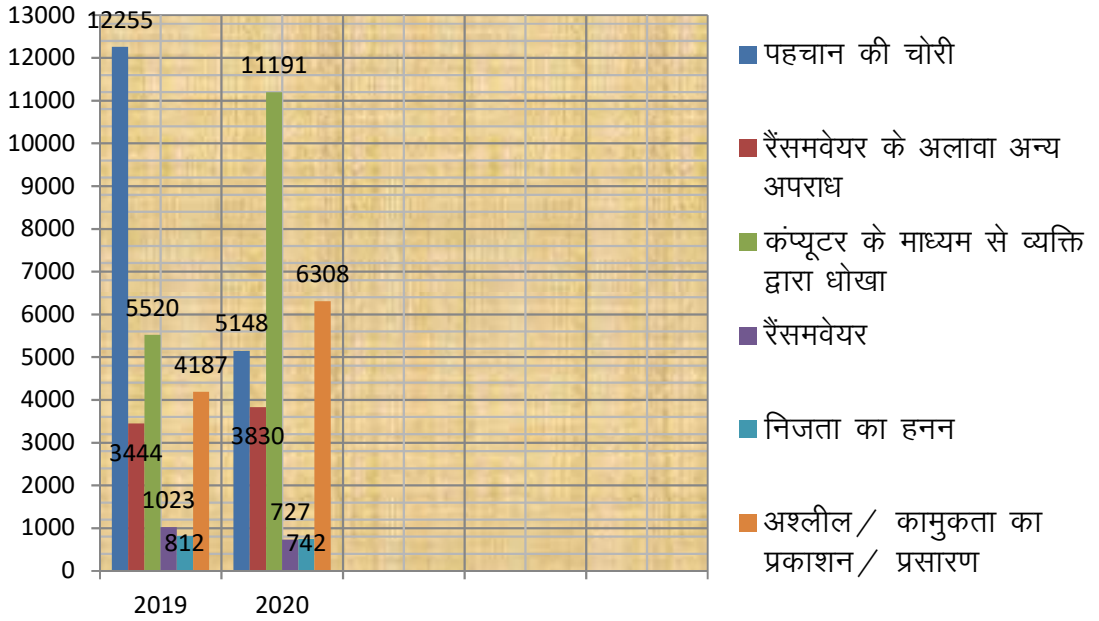

स्रोत - एन.सी.आर.बी रिपोर्ट 2019 व 2020, क्राइम इन इण्डिया

- **तथ्यों का विश्लेषण**

उपर्युक्त तालिका एवं चार्ट संख्या 1 एवं 2 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2019 में फ्रॉड 420 आईपीसी के तहत दर्ज साइबर अपराध के तहत 6,233 अपराध की मुख्य घटनाएं घटित हुई एवं यह 2020 में बढ़कर 10,335 हो गई। अधिकांश मामले फ्रॉड धारा 420, 465, 468 एवं 471 आईपीसी के तहत मामले दर्ज किये गये हैं। साइबर अपराध के 2019 एवं 2020 में क्रमशः 3393,4480 मामले छल धारा 420 आईपीसी के तहत दर्ज किये गये हैं जो कि 2019 की तुलना में अधिक है। तीसरे स्थान पर साइबर स्टॉकिंग के मामलों का रहा। चौथे स्थान पर जालसाजी के तहत दर्ज अपराधों का रहा एवं पाँचवा स्थान सोशल मीड़िया पर फर्जी खबर धारा 505 आईपीसी के तहत 2019 में दर्ज 190 की तुलना में 578 मामले दर्ज किये गये हैं।

2019 में आईटी एक्ट में दर्ज अधिकाश मामले पहचान की चोरी (सू.प्रौ. अधि. की धारा 66 सी) के तहत 12255 केस दर्ज किये गये है जिसकी संख्या 2020 में घटकर 5148 तक पहुँच गई है, जो आधे से भी कम रही है। साथ ही धारा 66 डी आईटी एक्ट में 2019 में दर्ज कुल 5520 केस की तुलना में 2020 में कुल 11191 मामले दर्ज किये गये हैं जो कि दोगुना से अधिक है। इसी प्रकार 67 आईटी एक्ट में 2019 में 4187 केस दर्ज किये गये थे जो 2020 में बढ़कर 6308 हो गये हैं। इस प्रकार एन.सी.आर.बी. रिपोर्ट के आधार पर चार्ट सं. 1 व 2 के विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि महिलाओं संबंधी साइबर एवं आईटी एक्ट अपराधों में कुछ मामलों को छोड़कर दिन प्रति- दिन वृद्धि हो रही है, जो कि हमारे लिए एक चिंतनीय विषय है।

- सोशल मीडिया और महिलाओं की सुरक्षा एवं पुलिस की भूमिका

सोशल मीडिया और महिलाओं की सुरक्षा का विषय पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण विषय है। साथ ही महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। महिलाओं एवं बालकों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटित अपराध अत्यन्त निंदनीय होते हैं और पुलिस कार्यक्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं। इन अपराधों में अपराध को दर्ज करने से लेकर अन्वेषण एवं न्यायालय में अभियोजन तक थाने की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। यह पुलिस के सभी कार्यो की बुनियादी यूनिट होता है। दंड प्रक्रिया संहिता एवं अन्य स्थानीय विशेष कानूनों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट 154 द.प्र.स. के तहत दर्ज की जाती है। पुलिस द्वारा साइबर थाने खोले जा रहे हैं।

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सुरक्षा पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य

हालांकि हमारी पुलिस तेजी से बढ़ते इन अपराधों को रोकने का प्रयास कर रही है। अपराधियों को जेल में भेजा जा रहा है। आज साइबर अपराधी अपराध की दुनिया में महिलाओं को आये दिन निशाना बना रहे हैं और अपने तौर तरीके बदल रहे हैं। साइबर स्पेस की दुनिया का कोई अंत नहीं है। आजकल महिलाएँ भारत में हर दूसरे सेकंड में साइबर अपराध की शिकार होती है। आजकल साइबर ब्लैकमेल, डाटा चोरी, स्टॉकिंग, पोर्नोग्राफी, साइबर बुलीइंग, साइबर स्पाइंग, फेक प्रोफाइल, मानहानी एवं इमेल के माध्यम से उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं। आजकल महिलाएँ मैसेंजर सर्विस (व्हाट्सएप, टेलीग्राफ हाईक), फोटो शेयरिंग (क्लिकर,फोटोबकेट,इंस्टाग्राम) सामाजिक नेटवर्किंग साईट (फेसबुक,लिंकडिन,माइस्पेस), वीडियो शेयरिंग (यूट्यूब) एवं ऑडियो शेयरिंग (पाडकास्ट) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का प्रयोग कर रही हैं। आजकल साइबर वर्चुअल दुनिया में किसी की निजी जानकारी सुरक्षित नहीं है। हाल ही में फेसबुक द्वारा लाखों करोड़ों यूजर्स की निजी जानकारी विज्ञापनदाताओं के लिए व कैम्ब्रीज एनालिटिका को चुनावों में दुरूपयोग करने के लिए उपलब्ध कराने पर फेसबुक के संस्थापक और सीओ मार्क जुकरबर्ग को अमेरिकी सीनेट के समक्ष पेश होना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। दुनिया की इस बड़ी हस्ती ने स्वीकार किया कि भविष्य मे ऐसा नहीं होगा।

निष्कर्ष एवं सुझाव

इस प्रकार आज पल-पल में साइबर अपराधी हमारे निजी डाटा को चुरा रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सुरक्षा पुलिस के लिए एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। महिलाएँ सोशल मीडिया के अकाउंट को सुरक्षित करें व अपने पासवर्ड मजबूत रखें। यदि महिलाएँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट को डिलीट करे तो इससे पहले अपनी सारी व्यक्तिगत जानकारी को डिलीट कर दें और फिर इसके बाद अपना अकाउंट डिलीट करें। अनावश्यक एप डाउनलोड न करें। ई-कॉमर्स साइट्स का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। पुलिस को सक्षम बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं-

1. डिजिटल पुलिस की स्थापना एवं सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन
2. पुलिस का आधुनिकीकरण

3. साइबर पुलिस थाने एवं साइबर सेल की स्थापना
4. पुलिस प्रशिक्षण का उन्नयन
5. सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सैल का गठन एवं जन जागरूकता कार्यक्रम
6. राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय- कानून प्रवर्तन एजेंसिज जैसे सीबीआई, एनआईए, निट्रो, एसटीएफ के साथ समन्वय करना
8. पर्याप्त बजट की व्यवस्था करना

एफबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार एक वर्ष में 30,000 हजार साइबर क्राइम संबंधित रिपोर्ट्स प्राप्त होती है जो प्रतिदिन 900 के लगभग है। अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में इसकी रोकथाम के लिये 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जरूरत पड़ी है। व्हाईट हाउस की वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार अमेरिकी सरकार के द्वारा साइबर क्राईम संबंधित अपराधों के निवारण के लिए 17.4 बिलियन अमेरिका डॉलर बजट दिया गया है। इस प्रकार साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु अलग बजट की स्थापना करनी पड़ेगी ताकि पुलिस थानों/साइबर सेल को विभिन्न अपराधियों का पता लगाने के लिये साइबर विशेषज्ञों की सेवाएँ लेने में बजट की कमी आड़े नहीं आये। पुलिस कार्मिकों को अपनी यात्रा करते समय यात्रा भत्तों का समय पर भुगतान हो सके।

- **सन्दर्भ ग्रंथ सूची:वेब लिंक्स**

» https://uppolice.gov.in/writereaddata/uploaded-content/Web_Page/2_3_2015_11_22_7_9.pdf

» https://acadpubl.eu/hub/2018-118-21/articles/21b/68.pdf

» http://ncrb.gov.in/hi/node/2167

» https://ncrb.gov.in/

» https://factly.in/almost-45-of-the-cyber-crimes-reported-in-2018-are-from-up-karnataka-alone%EF%BB%BF/

» https://www.researchgate.net/publication/316133936_Social_media's_impact_on_teenagers_and_women

» https://www.newindianexpress.com/opinions/2018/mar/17/policing-in-the-age-of-social-media-1788411.html

» https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Handbook_on_Effective_police_responses_to_violence_against_women_English.pdf

» https://acadpubl.eu/hub/2018-118-21/articles/21b/68.pdf

» https://scholarcommons.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=engl_176

****

किशोरों में मादक पदार्थों का सेवन

प्रो. भावना वर्मा
प्रोफेसर, समाजकार्य विभाग, वाराणसी

आज हमारे सामने एक सबसे बड़ी सामाजिक समस्या पैदा हो रही है, किशोरों का नशे का शिकार होना। जो कल के होने वाले देश के कर्णधार हैं आज वही सबसे ज्यादा नशे के शिकार है, जिनको देश की उन्नति में अपनी ऊर्जा लगानी है वो आज अपनी अनमोल शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को चोरी, लूट-पाट और कत्ल जैसी सामाजिक कुरीतियों में नष्ट कर रहे हैं। जिस तरह से टेक्नोलॉजी विकसित हुई है ठीक उसी तरह से नशे के सेवन में भी नई टेक्टनोलॉजी विकसित हुई है। आज का युवा शराब और हेरोइन जैसे मादक पदार्थों का नशा नहीं बल्कि कुछ दवाओं का इस्तेमाल नशे के रूप में कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस तरह की दवाएं आसानी से युवाओं की पहुंच में है और इसके सेवन से घर या समाज में किसी को पता भी नहीं होता कि व्यक्ति ने किसी मादक पदार्थ का सेवन किया है। प्रायः किशोरवय बालक-बालिकाओं में मादक पदार्थों का सेवन आज एक बड़ी समस्या एवं अभिशाप बन चुकी है। भोलेपन एवं नासमझी के कारण गांजा, चरस, कोकीन एवं अन्य नशीले पदार्थों का सेवन प्रारम्भ कर देते हैं। एक बार लत लगने के बाद इससे उबरने में काफी समय लग जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से साबित हो चुका है कि मादक पदार्थों के सेवन से इनमें सामाजिक, आर्थिक, नैतिक एवं शैक्षिक पतन होता चला जाता है।

मैरीजुआना तथा हैल्थ (Marijuana & Health 1989) एवं Blum 1988 द्वारा स्कूल में किशोरों पर जो मादक पदार्थों के व्यसनी थे, किए गए अध्ययन से इसकी पुष्टि होती है कि 15-24 वर्षीय बच्चे आबादी का पांचवां हिस्सा बनाते हुए अपने साथ भारत का भविष्य लेकर चलते हैं। हमारे राष्ट्र के युवा अंततः देश के नैतिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण का निर्धारण करेंगे। किशोरों और युवा लोगों के व्यवहार में किशोरों की नशीली दवाओं का दुरूपयोग प्रमुख क्षेत्रों में से एक है।

नशा किसी भी प्रकार का हो उससे शरीर को भारी मात्रा में नुकसान पहुँचता है। धूम्रपान से फेफड़े नष्ट हो जाते हैं। तम्बाकू के सेवन से तपेदिक, निमोनिया और सांस की बीमारियों सहित मुँख फेफड़े और गुर्दे में कैंसर होने की संभावनाएं रहती है। अधिक शराब सेवन से लीवर खराब हो जाता है, जबकि अफीम, चरस, हेरोइन तथा स्मैक आदि से व्यक्ति पागल तथा निष्क्रिय में हो जाता है। कोकीन, चरस, अफीम ऐसे उत्तेजना वाले पदार्थ हैं जिसके प्रभाव में व्यक्ति अपराध कर बैठता है।

नशे की शुरूआत अक्सर 18 साल से कम उम्र के युवाओं में होती है। आजकल युवा पीढ़ी लगातार नशीले पदार्थों की गिरफ्त में जकड़ी जा रही है। भारत में 253 मिलियन किशोर (10 से 19 वर्ष) के हैं, जो किसी भी अन्य देश से अधिक है और जापान, जर्मनी और स्पेन की संयुक्त आबादी के बराबर है। इस प्रकार

भारत में हर पांचवां व्यक्ति किशोर है। किशोरावस्था को ''तूफान और तनाव'' की जीवन की अवधि बताया गया है।

किशोरों में आजकल हुक्का बार का क्रेज भी चिंता का एक बड़ा विषय बन गया है। हुक्कों को आजकल वाटर पाईप्स भी कहा जाता है। इनका उपयोग विशेष रूप से तम्बाकू के सेवन के लिए किया जाता है जो विभिन्न स्वाद में आते हैं। इस प्रकार के तम्बाकू को एक पात्र में रखकर चारकोल से गर्म किया जाता है। गर्म किए गए तम्बाकू को फिर पाईप के द्वारा सांस से खींचा जाता है। नवयुवक हुक्का सेवन करना अधिक पसंद करते हैं क्योंकि यह परम्परागत तम्बाकू का ज्यादा परिशुद्ध और आधुनिक रूप होता है, न केवल जवान लड़के बल्कि बड़ी संख्या में युवा लड़कियों को भी आमतौर पर हुक्का पीते हुए देखा जा सकता है। चूंकि इसे आजकल एक सामाजिक सरोकार के रूप में लिया जाता है। जल्दी-जल्दी, गहराई से और लम्बे समय तक इसके कश्या लिए जाने के कारण, सिगरेट की तुलना में हुक्के से निकोटीन का सेवन अपेक्षाकृत बहुत अधिक हो जाता है। कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित खतरनाक कारकों से जुड़े होने के बावजूद भी पूरे देशभर में अपेक्षाकृत बड़े शहरों में नवयुवकों व नवयुवतियों को आमतौर पर इस प्रकार का नशा करते हुए देखा जा सकता है।

ई- सिगरेट के उपयोग में पिछले कई वर्षों में विस्फोट हुआ है। खासकर युवाओं में 2019 के राष्ट्रीय युवा तंबाकू सर्वेक्षण के अनुसार, 2011 और 2019 के बीच, ई-सिगरेट का उपयोग करने वाले हाई स्कूल के छात्रों की संख्या 1.5 प्रतिशत से बढ़कर 27.5 प्रतिशत हो गई।

किशोरों द्वारा नशीली दवाओं और अल्कोहल का सेवन किया जाना दुर्घटनाओं और प्राणघातक परिस्थितियों के निवार्य कारणों को बढ़ावा देते हैं। अपराधवृत्ति, आत्मदाह के मामले, किशोरी, गर्भावस्था, स्कूल/पढ़ाई में पिछड़ना इत्यादि इसके अन्य परिणामों में से है। निष्क्रिय नशा सेवन (अन्य व्यक्ति द्वारा नशा करने के प्रभाव) दूसरे बच्चों/छोटे बच्चों/नवजात शिशुओं पर भी पड़ते हैं। मादक दवाओं का सेवन धीरे-धीरे बढ़ने से यह एक लत बन जाती है जो कि सेवन करने वाले व्यक्ति दवा/मादक पदार्थ और आसपास के वातावरण के बीच की परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। हमारे देश की सरहदें नशीले पदार्थों की सुपरमॉल बन गई है। वहाँ पर नशीले पदार्थों कुछ कोड शब्द में कह कर मांगा जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आज भी इन पदार्थों को सद्दाम हुसैन, बुश के कोड नाम से जाना जाता है। मणिपुरी गाँजे को ''टेटा बम'' के नाम से जाना जाता है।

नेपाल ऐसा देश है जो भारत के कई सीमाओं को छूता है। जैसे-उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार इसी तरह पड़ोसी देशों की सीमाओं को भी छूता है।

यूएन के अनुसार भारत में दुनियां के अनुमानित 247 मिलियन ड्रग एबयूजर्स में से 10 मिलियन हैं। ड्रग, नशीली दवाओं के सेवन करने वालों की संख्या में काफी वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। व्हाइटनर, नेल पॉलिश रिमूवर, पेंट, थिनर, पेट्रोल और शू पॉलिश जैसे पदार्थों की आसान पहुंच त्वरित और सस्ती है।

ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा जारी नवीनतम विश्व ड्रग रिपोर्ट के

अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 14.6 प्रतिशत जनसंख्या (10 से 75 वर्ष की आयु के बीच) शराब का उपयोग करती है। निरपेक्ष संख्या के संदर्भ में लगभग 16 करोड़ लोग हैं जो देश में शराब का सेवन करते हैं। सभी आयु समूहों में 10-17 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। 2018 में दुनियां भर में लगभग 269 मिलियन लोगों ने दवाओं का इस्तेमाल किया जो 2009 की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक है।

अन्तर्राष्ट्रीय संधि का लागू होना

'संयुक्त राष्ट्र संघ' ने 27 फरवरी 2005 को विश्व में एक संधि लागू कर दिया था। जिसमें दुनियां भर के करीब सौ देशों ने हस्ताक्षर किया था उसमें से भारत भी एक है। जो संधि देशों के बीच बना था उसका नाम (अन्तर्राष्ट्रीय प्रभावकारी तम्बाकू नियंत्रण संधि) है। जो स्वास्थ्य एवं उद्योग की जवाबदेही के लिए बनी है। इस संधि का मुख्य उद्देश्य है-

1. तम्बाकू के भ्रामक विज्ञापनों जैसे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक लगाया जाए।
2. तम्बाकू के पैकेट पर 30 प्रतिशत भाग पर होने वाले हानियों के बारे में बताया जाए।
3. तम्बाकू उत्पादन पर हो रही अन्तर्राष्ट्रीय कालाबाजारी पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए।
4. विश्व स्तर पर एक प्रभावकारी नियंत्रण लागू हो सके।

इस संधि के बाद 1 अप्रैल 2006 से भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 भी लागू कर दिया है।

W.H.O. के अनुसार डाक्टर शीन यंग सू का कहना है कि 10 में से एक वयस्क की मौत तंबाकू सेवन से होती है। विश्व में हर साल करीब 60 लाख लोगों की मौत हो जाती है। दुनियां में 1 अरब धूम्रपान करने वाले लोगों में 20 फीसदी (20 करोड़) महिलाएं है। यदि इस गति से धूम्रपान करते रहे तो 2030 तक हर साल 80 लाख लोगों की मौत होगी जिसमें 25 लाख महिलाएं होंगी। (हिन्दुस्तान, 2011)

मादक/नशीले पदार्थ क्या हैं-

नशीले पदार्थ वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो मानसिक क्रियाओं में परिवर्तन लाते हैं और इसका प्रभाव शारीरिक भी होता है। यह प्राकृतिक रूप से (जैसे-गांजा, चरस आदि) या रासायनिक विश्लेषण (जैसे-एमफेटेमाइन्स लायसर्जिक एसिड आदि) के द्वारा बनाये जाते हैं। जिसमें करीब 4000 तरह के केमिकल का इस्तेमाल नशीले पदार्थ को बनाने में किया जाता है जो कि अत्यन्त घातक है।

नशीले पदार्थ/मादक द्रव्य के प्रकार-

1. धूएं वाले तम्बाकू के प्रकार -(दैनिक जागरण, 2010)

क)	सिगरेट	ख)	बीड़ी
ग)	हेरोइन	घ)	सिगार
ङ)	चिलम	च)	गांजा
छ)	हुक्का	ज)	सिगार
झ)	अफीम		

2. धूम्रपान रहित तम्बाकू के प्रकार-

क) गुटखा ख) जर्दा

ग) पान-मसाला घ) खैनी

ङ) पान-तम्बाकू के साथ

च) तम्बाकू पानी

3. तम्बाकू से सूँघने वाले प्रकार -

क) गीली सुँघनी ख) सूखी सुँघनी

4. दातों-मसूड़ों के लिए प्रयोग में आने वाले प्रकार -

क) गुल ख) मिश्री

ग) गुड़ाकू घ) कीमी सुँघनी

5. तरल पदार्थ के प्रकार -

क) रम ख) व्हिस्की

ग) बीयर घ) वोडका

ङ) रेड वाइन

मादक पदार्थों/नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोगों की प्रतिशत

1.	संयुक्त राष्ट्र संघ के नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड वर्ष 2009 की रिपोर्ट के अनुसार	10-11 वर्ष के स्कूली बच्चे 22-28 वर्ष के वाहन चालक	37 प्रतिशत 80 प्रतिशत
2.	2001 के मुकाबले आज (2011)	19-26 वर्ष के छात्र शराब लेते हैं।	60 प्रतिशत
3.	W.H.O. के सर्वे के अनुसार	लड़कियाँ धूम्रपान करती हैं।	60 प्रतिशत
4.	भारत के प्रदेशों में तम्बाकू सेवन करने वाले	ग्रामीण क्षेत्र में पुरूष ग्रामीण क्षेत्र में महिला	57 प्रतिशत 19 प्रतिशत

रक्त में शराब की मात्रा से शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव-

	रक्त में शराब की मात्रा (मिली.ग्राम)	शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव
1.	0-02	मामूली मन परिवर्तन
2.	0-06	तर्क शक्ति कम होना
3.	0-1	नशे में प्रतिक्रिया करना, नियंत्रण में गिरावट आना
4.	0-15	बिगड़ता संतुलन
5.	0-2	दर्द और संवेदना में कमी
6.	0-3	अर्द्ध सचेत, कम सजगता
7.	0-4	चेतना की कमी, शून्य सजगता
8.	0-5	मौत

नशीले पदार्थों/मादक द्रव्यों का सेवन शुरू करने के कारण (www.httpspym.org)

- दोस्तों का दबाव पारिवारिक/सामाजिक सहयोग की कमी।
- माता-पिता या भाई-बहनों द्वारा नशे का सेवन करना।
- नशीले पदार्थों या धन का आसानी से मिलना
- जीवन में संतुष्टि की कमी और कुछ खास अवस्थाएं जैसे-किशोरावस्था, अकेलापन या दुःख के समय।
- मुश्किल परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक एवं भावात्मक रूप से अलगाव/भागना।
- नौकरी के अवसरों की कमी,
- मादक पदार्थों की आसान उपलब्धता,
- पहली बार अनुभव करने की जिज्ञासा के कारण,
- साथियों का दबाव,
- भूख, ठंड और गरीबी से बचने के लिए औषधि का सहारा,
- असुरक्षित कुर्की,
- कक्षा संरचना का अभाव,
- माता-पिता के दुर्व्यवहार और उपेक्षा,
- पैतृक पदार्थ का उपयोग,
- माता-पिता का धूम्रपान,
- नशीली दवाओं के दुरूपयोग के साथ संघ,
- आनुवंशिकी कारक

मादक द्रव्यों का किशोरों पर कुप्रभाव

- स्कूल, काम या अधिकार की समस्या, वित्तीय परेशानी, पैसे माँगना या पैसे चोरी करना,
- वर्ग या परिवार, स्ट्रोक, मानसिक भ्रम और मस्तिष्क क्षति, जिम्मेदारियों की उपेक्षा,
- दोस्तों के एक नए समूह के साथ घूमना,
- झूठ बोलना या उनके जीवन के बारे में तेजी से गुप्त होना,
- स्वास्थ्य खराब हो जाता है व धन का अपव्यय,
- सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है।
- व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से दूसरों पर निर्भर हो जाता है।
- नैतिक पतन/ आत्म बल की ह्रास।
- पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्धों से अलगाव।
- दुर्घटनायें हो सकती है व अधिक खुराक लेने पर मृत्यु हो सकती है।

मादक द्रव्यों/नशे का सेवन करने वालों के लक्षण व पहचान

क) शारीरिक लक्षण-

- नींद न आना, लाल नम आँखें और चेहरे पर सूजन, सुस्ती रहना।
- हाथ पैर में कंपकपी या सिर चकराना।
- वजन में अचानक कमी/भूख न लगना।
- उल्टियाँ होना, खाँसी का दौरा पड़ना व शरीर में दर्द होना।

- बाहों, कपड़ों व उंगलियों पर जले या सूई का निशान होना।
- घबराहट एवं बेचैनी।
- आक्रामकता, मतिभ्रम, व्यसन, बिगड़ा हुआ निर्णय, आवेग।
- आत्म-नियंत्रण, संदिग्ध या परेशानीपूर्ण व्यवहार का नुकसान।

ख) व्यावहारिक लक्षण-

- दैनिक क्रियाकलापों में अरूचि।
- स्वः नियंत्रण एवं बर्दाश्त करने की क्षमता में कमी।
- भूलने की आदत।
- बिना बात गुस्सा आना व चिड़चिड़ाहट व बेवजह तर्क वितर्क करना।
- मित्रों व घूमने-फिरने की जगहों में बदलाव।
- परिवार एवं समाज से कटे-कटे से रहना।
- यह न मानना कि उसे नशे की आदत है।

नशे की लत वाले किशोरों की सहायता (नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो)

- नशे की लत वाले व्यक्ति को धैर्य बंधाये व उनका मनोबल ऊँचा करें।
- नशा करना एक बीमारी है। अधिकांशतः वे व्यक्ति इसकी लपेट में आते है जो सामाजिक, मानसिक व आर्थिक रूप से अस्वस्थ्य होते हैं, इसलिए उनके साथ सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करना चाहिए।
- व्यक्ति को किसी डी. एडिक्सन क्लीनिक, काउंसलिंग सेन्टर या अस्पताल में ले जायें और उसके परिवार वालों को भी ऐसे जगहों पर ले जाने और लगातार इलाज कराने की सलाह दें।
- इलाज के पश्चात उसे उन व्यक्तियों से दूर रखें जो मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं।

मादक द्रव्य/नशा छोड़ते समय किशोरों में होने वाले लक्षण-

क)	बेचैनी	ख)	भयंकर दर्द
ग)	चिड़चिड़ापन	घ)	पतले दस्त
ङ)	भूख न लगना	च)	नींद न लगना
छ)	कंपकपी होना	ज)	जी मचलाना

मादक द्रव्यों के सेवन से किशोरों को रोकना

परिवार की भूमिका

सहयोग प्रणाली के रूप में परिवार में निश्चित सिद्धान्त होने जरूरी है-

- परिवार के सदस्यों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार।
- सावधानीपूर्वक बातचीत करना।
- उनके काम की तारीफ करना।
- सही समय पर भावनाओं का आदान-प्रदान।
- बीती बातों पर चर्चा नहीं करना।
- सकारात्मक और अच्छी भावनाओं के विकास पर ध्यान देना।
- आपसी भरोसा विकसित करने के लिए माफ करने और भूलने की चाहत।

- सभी स्थितियों से निपटने के लिए जिंदगी के कौशल सीखने के लिए वातावरण बनानां
- आपसी शान्ति, प्रेम और आनन्द के द्वारा परिवार की सफलता देखने की भावना।

किशोर और किशोर पदार्थों के दुरूपयोग का सबसे इच्छा इलाज रोकथाम है। माता-पिता की भागीदारी के रूप में मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। NIDA की रूपरेखा के अनुसार, पालन-पोषण के लिए पाँच प्रकार के बिंदु बताया है।

- संचार
- प्रोत्साहन
- मोल भाव
- सीमा निर्धारित करना
- पर्यवेक्षण

नशीली दवाओं के दुरूपयोग की रोकथाम और उपचार

देश में मादक द्रव्यों का सेवन रोकथाम के लिए ड्रग एब्यूस मॉनिटरिंग सिस्टम (डीएएमएस) एक ऑनलाइन डेटा बेस है, जिसमें नशामुक्ति केंद्रों पर पदार्थों के प्रकार, उपभोग की विधि, उपचार चाहने वालों की क्लिनिकल और सामान्य प्रोफाइल पर डेटा त्रैमासिक आधार पर एकत्रित किए जाएंगे। भारत में 215 शहरों में 813 डेडडिक्शन सेंटर स्थित हैं। ये केंद्र कुछ निजी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

नशामुक्ति केंद्रों पर क्षेत्रीय संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र (आरआरटीसी) के माध्यम से आउटरीच/प्रचार गतिविधियां चलाए जा रहे हैं।

मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से (एनआईएसडी) 26 जून हर साल मनाया जाता है।

ड्रग डीएडिक्शन सेंटर द्वारा मादक द्रव्यों के सेवन पर व्यक्तिगत स्तर पर, स्थानीय स्तर पर (सामाजिक, राष्ट्रीय आदि) और क्रॉस-नेशनल स्तर पर ध्यान दिया जा सकता है।

पूरे भारत के लोगों को उनके व्यसनों के लिए राहत और ईलाज खोजने में मदद करने के लिए डीएएमएस मौजूद है। ड्रग एंड अल्कोहल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की निर्देशिका, एक सामुदायिक प्रयास है और इसमें भारत के लगभग हर राज्य के केंद्र शामिल हैं।

इस प्रकार से भारत जैसे विकासशील देश में तम्बाकू की समस्या अन्य देशों की तुलना में अधिक है। यहाँ पर तम्बाकू आसानी से मिल जाता है। सांस्कृतिक चलन में जुड़ने से सामाजिकता पर असर डाल रही है। स्वतन्त्रता के बाद जितनी भी सरकारें आयी सभी व्यापार के रूप में जमकर राजस्व बटोरी हैं।

''विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तम्बाकू नियंत्रण के लिए उत्प्रेरक की भूमिका अदा की है।'' देश की न्याय पालिका के फैसलों ने काफी सहयोग दिया है। केन्द्र सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2008 से कानून को लागू कर दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकू या मादक द्रव्य खा कर नहीं जा सकते ना ही गन्दगी कर सकते हैं। ऐसे करते पकड़े गये तो जुर्माना भरना पड़ेगा। इस

प्रकार युवाओं को जागरूक करके भारत को नशा मुक्त देश बनाना है। (प्रकृति पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण)

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- "https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/189961
- By Jennifer Thomas| April 24, 2020, https://www.rallyhealth.com
- contentuploads 201908 Setu_15.pdf.
- DeAddictionCentres.in
- मार्कण्डेय दिलीप कुमार राज वैद्य निलिया, 1999 प्रकृति पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण, नई दिल्ली, 209, 219
- हिन्दुस्तान 2010, पेज सं0 12, 4 अगस्त, बुधवार
- हिन्दुस्तान 2011, पेज सं0 12, 4 अप्रैल, सोमवार
- http://hindi.ind.in/nasha.html 07/07/2011
- http://www.measuredhs. com/pubs/pdf/OD59/OD59.pdf/ref
- https://pedsinreview.aappublications.org/content/18/11/394
- https://ww.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1793917/pdf/archdisch00633-0007.pdf.
- https://www.who.int/topics/substanceabuse.
- httpscentreforchildprotection.orgwp
- luxury.rehabs.com/drug-abuse/
- mhtml:file//e:/Documents&Settings/Author/Desktop/bb.mht.
- nSfud tkxj.k 2010] ist la0 10] 1 twu
- ibid.
- नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो एस.18/38 पटेल नगर, वाराणसी कैन्ट।
- www.chauthiduniya.com
- www.DPR.file:/c:/Documents/user/ss.htm

****

रजिस्ट्रेशन सं. 40445/82

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-8, महिपालपुर,
नई दिल्ली - 110 037 द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित

BPRDIndia bprdindia officialBPRDIndia
Bureau of Police Research & Development India www.bprd.nic.in